

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

लोक नायक जय प्रकाश नारायण अस्पताल,

राजवशी नगर,

पटना-800023 ।

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	टुनटुन कुमार पिता- प्रेम नाथ राय ग्राम+पो0+थाना- अकिलपुर जिला- सारण	हीप रिप्लेशमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
			75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि 75,000/- (पचहत्तर हजार) मात्र का क्रास चेक स0 196925

. मूल रूप में सलग्न

3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माँग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

4. चिकित्सा AIIMS के दर पर ही किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

5 यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

५

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1769 (14)

पटना, दिनांक

24/6/2025

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई की मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सेंटर फार साईट ए/31
पी0सी0 कोलनी कंकडबाग
बिहाईड ग्रेवीटी माल
नियर ओल्ड तिवारी बेचर
पटना 800020

पटना, दिनांक . . .

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अहिल्या देवी पति— शारदानंद शर्मा ग्राम— श्रीरामपुर दुष्टी पो0— तेमथा थाना— परबत्ता जिला— खगड़िया	Cataract surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
			20,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000/- (बीस हजार) मात्र का क्रास चेक सं0 196926 मूल रूप में सलग्न।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1773(14)

पटना, दिनांक

24/6/2025

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई० टी० मैनेजर स्वास्थ्य विभाग/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्याथ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
महावीर कैसर सस्थान,
फुलवारी शरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक..

विषय - "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	बेबी देवी पति-मोगाली राम ग्राम+पोस्ट-पेरहाप थाना-सहार जिला- भोजपुर एम०सी०एस-एफ 51553	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	अन्नत सिंह पिता-काली सिंह ग्राम+पो०-चदा थाना-अथमलगोला जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 80130	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
3	राम बाबु प्रसाद पिता-स्व० हवलदार साह ग्राम-पुरणाडीह पो०-सूतिहार थाना-डेरनी जिला-सारण एम०सी०एस-एफ 94148	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	दिवाकर यादव पिता-सुधीर यादव ग्राम+पो०-घोषई थाना-चौसा जिला-मधेपुरा एम०सी०एस-एफ 96559	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	राजेश साह पिता-स्व० केदार साह ग्राम-जलालदी टोला पो० साखे खास थाना-उचका गाव जिला-गोपालगंज एम०सी०एस-एफ 33050	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	लालीया देवी पति-शिव चन्द्र सहनी ग्राम-जफरपट्टी पो०-जफरपट्टी थाना-राजापाकर जिला वैशाली एम०सी०एस-एफ 93328	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	सगीता देवी पति-गणेश सिंह ग्राम-कर्णपुरा पो०-बैरिया थाना-गोपालपुर जिला-पटना एम०सी०एस-एफ 90624	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	बुधिया देवी पति-गोवर्धन सिंह ग्राम-मीनापुर पो०-गोपुर थाना-गरखा जिला-सारण एम०सी०एस-एफ 95111	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	मोहन प्रसाद साह पिता-स्व० जगदीश साह ग्राम-पेटियहआगाछी पो०-समस्तीपुर थाना-नगर जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-एफ 96803	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	इन्दु देवी पति-रामजी प्रसाद ग्राम-छितौली पो०-छितौली थाना-सिसवन जिला-सीवान एम०सी०एस-एफ 95085	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	मो० अशरफ आलम पिता-मो० मोहरम ग्राम-खम्हौती पोस्ट-खम्हौती थाना-सिमरी बख्तियारपुर जिला-सहरसा एम०सी०एस-एफ 75667	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	लखपति देवी पति लगनदेव राय ग्राम-चकहन पो0-शामकौडिया थाना-इसुआपुर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 95271	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	मजुला देवी पति-इन्द्रदेव राम ग्राम-कदवा प्रतापनगर पो0-कदवा दियारा थाना-कदवा ओ0पी0 जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 93990	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	मो0 सद्दाम हुसैन पिता-मो0 समीद खान ग्राम-पुपरी गांव पोस्ट-जनकपुर रोड थाना-पुपरी जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 59466	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	रघुनन्दन सिंह पिता-मितावी प्रसाद सिंह ग्राम-मझलाचक पो0-चाडाबडगाव थाना-सजौर ओ0पी0 जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 83311	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	दैलती देवी पति-विसुनी राय ग्राम-रसलपुर पो0-बहादुरपुर थाना-विद्यापति नगर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 58130	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	नुतन जयसवाल पिता- चन्दन कुमार जयसवाल ग्राम-नरकटियागज पो0-नरकटियागज थाना-शिकारपुर जिला- प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 90754	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	शकुन्तला देवी पति-तनीक रविदास ग्राम+पो0-पेसौर थाना-रहुई जिला नालदा एम0सी0एस-एफ 93634	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	विरेन्द्र सिंह पिता-ब्रज भुषण सिंह ग्राम-पो0-मोडवारा थाना-सिंधिया जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 94657	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	बालेश्वर मंडल पिता-स्व0 जीतन मंडल ग्राम-मलिकपुर पो0-पीरपैती बाजार थाना-पीरपैती जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 95376	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	गुरख यादव पिता-लीला यादव ग्राम-भिखारी घाट पो0-बुढवा थाना अलौली जिला खगडिया एम0सी0एस-एफ 94974	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	सुगंधा देवी पति-ब्रज किशोर चौधरी ग्राम-बेलाही वार्ड 10 पो0-बिहारीगज थाना-बिहारीगज जिला-मधेपुरा एम0सी0एस-एफ 95355	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	नुसरत खातुन पति-अब्दुल जब्बार ग्राम-खखरुआ पो0-शीतलारामपुर थाना-बखरी जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 94695	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	योगेन्द्र यादव पिता-स्व0 पाचु यादव ग्राम नावाडी पो0-मथुरापुर थाना-लछुआरा जिला-जमुई एम0सी0एस-एफ 95539	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	उमरावती देवी पति-दुधनाथ भगत ग्राम-हैबतपुर पो0-नन्दपुर थाना-आन्दर जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 21068	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	दुर्गा दास पिता-स्व० नाथुन दास ग्राम-मंगर बिगहा पो०-शिमला थाना-सलैया जिला-औरंगाबाद एम०सी०एस-एफ 95950	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	नागेश्वर मंडल पिता-मंगल मंडल ग्राम-वंशीपुर पो०-पचम थाना-किउल जिला-लखीसराय एम०सी०एस-एफ 97045	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	सजय राम पिता-स्व० लक्खी राम ग्राम-सलखुआ वार्ड 4 पोस्ट+थाना-सलखुआ जिला-सहरसा एम०सी०एस-एफ 94828	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	शारदा देवी पति-अयोध्या सिंह ग्राम+पो०-मगराव थाना-नासरीगंज जिला-रोहतास एम०सी०एस-एफ 91535	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	दुर्गा साह पिता-प्रभु साह ग्राम-चदौली पोस्ट+थाना वारिस नगर जिला-समस्तीपुर एम०सी०एस-एफ 92617	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	मधु सिन्हा पति-विजय कुमार सिन्हा ग्राम-बलतुआ पोस्ट-बौलिया थाना-नौहट्टा जिला-रोहतास एम०सी०एस-एफ 96246	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	कचन देवी पति-कृष्णा शर्मा ग्राम+पो०-कुरुर थाना-काराकाट जिला-रोहतास एम०सी०एस-एफ 92426	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	सरिता देवी पति-अदालत साह ग्राम-सुपौली वार्ड 08 पो0-इटवा थाना-पचरुखी जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 95431	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	निर्मला देवी पति-नरेश मडल ग्राम+पो0-पकडी थाना पलासी जिला-अररिया एम0सी0एस-एफ 71070	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	उर्मिला देवी पति बंशी लाल साह ग्राम-ब्रहमपुर पो0-ब्रहमपुर थाना-फुलपरास जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 96396	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	कपिलमुनी तिवारी पिता-स्व0 शिवमगल तिवारी ग्राम-बभनी पो0-पसहरा थाना-मुफ्फसिल जिला-बक्सर एम0सी0एस-एफ 96408	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	माला देवी पति-अन्नु पोद्दार ग्राम+पो0-महोलिया थाना-जदिया जिला- सुपौल एम0सी0एस-एफ 96100	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	निधि कुमारी पति-कुश कुमार ग्राम-चदेडीह पोस्ट-जट डुमरी थाना-पुनपुन जिला- पटना एम0सी0एस-एफ 88552	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	मो0 हबीब पिता-मो0 सतहु ग्राम-बरैल पो0-तेघरा थाना-बाबु बरही जिला मधुबनी एम0सी0एस-एफ 95654	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	उमा देवी पति-रामजी सिंह ग्राम-खैरा पो0-बनुआ थाना-डीबरा जिला-औरंगाबाद एमसी0एस-एफ 95346	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	कृष्णा देवी पति-राम सिंघासन सिन्हा ग्राम-कुरथौल पो0-कुरथौल थाना-परसा बाजार जिला पटना एमसी0एस-एफ 96873	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	प्रभावती देवी पति-अच्छे लाल माझी ग्राम-पैगम्बरपुर पोस्ट-खालिशपुर थाना+जिला-सीवान एमसी0एस-एफ 62290	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
43	जगरनाथी राय पिता-स्व0 किशोरी राय ग्राम-दिग्घी खुर्द पो0-दिग्घी कला थाना हाजीपुर सदर जिला-वैशाली एमसी0एस-एफ 96902	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	दुर्गा देवी पति-राम सुन्दर सिंह ग्राम-पस्टन पो0-पस्टन थाना-अन्धराठारी जिला-मधुबनी एमसी0एस-डी0 70471	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	दुर्गावती देवी पति-नन्द लाल साह ग्राम-मुरारपट्टी पो0-रघुनाथपुर थाना-रघुनाथपुर जिला-सीवान एमसी0एस-एफ 96140	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	राज कुमारी देवी पति-सीता राम चौरसीया ग्राम-धाने गोरील पो0-गोरील थाना-गोरील जिला-वैशाली एमसी0एस-एफ 93481	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

47	वकील यादव पिता-राम किशुन यादव ग्राम+पो0-कमरुद्दीनपुर थाना-सिधौल ओ0पी0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 96058	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	सोनामती देवी पति- पूजन साह ग्राम-भरबलीया पो0-पुरनदरा थाना-पलनवा जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 81042	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	कुलानन्द झा पिता-गणेश झा ग्राम-अलपुरा पो0-ताजपुर थाना-रुद्रपुर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 95930	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	संजु देवी पति-पिन्दु राम ग्राम+पो0-जियॉय थाना-मुफ्फसिल जिला-सीवान एम0सी0एस-एफ 68407	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
51	नवल किशोर सिंह पिता-हरि वल्लभ प्रसाद सिंह ग्राम+पो0-नगरपारा थाना-भवानीपुर ओ0पी0 जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 96137	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	शोभा देवी पति-कन्हैया कुमार साह ग्राम-नोनिपाकड वार्ड 04 पोस्ट-गोबरौरा थाना-लौरिया जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 51542	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
53	कौशल चन्द्रा पिता विजय कुमार यादव ग्राम-बथौली वार्ड 06 पोस्ट-तिलरथ थाना-बरौनी पी0एस0 जिला-बेगुसराय एम0सी0एस-एफ 95777	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

54	उषा देवी पति-गोरख पासवान ग्राम-चौधरी टोला महिमा मंदिर राजा बाजार पो0-वेटरनरी कालेज थाना-शास्त्री नगर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 95073	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
55	तारा देवी पति-हरिलाल प्रसाद ग्राम-खैरीमल पो0-खैरीमल थाना-पीपरा जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 95857	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
56	सजु देवी पति-मुकेश साह ग्राम-बहुआरा पो0-फुलकाहॉ थाना-श्यामपुर भटहॉ जिला-शिवहर एम0सी0एस-एफ 90779	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
57	कुमारी अजुबाल पति-अखिलेश कुमार राय ग्राम-केवटा बेलबन्ना टोला पो0-केवटा थाना-दलसिह सराय जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 94531	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
58	रीता देवी पति-विनोद शर्मा ग्राम-दादपुर वार्ड 14 पोस्ट-भिन्दासपुर थाना-बेलागंज जिला-गया जी एम0सी0एस-एफ 91587	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
59	निर्मला देवी पति-परशुराम शर्मा ग्राम-सकरौडा पोस्ट-साईस्ताबाद थाना घोषी जिला-जहानाबाद एम0सी0एस-एफ 96441	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

60	आशा देवी पति-राम ध्यान राय ग्राम-साटेध वार्ड 03 पो0-साटेध थाना-नानपुर जिला-सीतामढी एम0सी0एस-एफ 89137	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
61	बिपिन रजक पिता-भैरो रजक ग्राम-भवानीपुर पो0-जगदीशपुर थाना-जगदीशपुर जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 95213	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
62	पुतारी देवी पति-राम चन्द्र दिसवा ग्राम+पो0-चौहट्टा थाना-मानपुर जिला-प0 चम्पारण एम0सी0एस-एफ 96187	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
63	मो0 शकील अख्तर पिता-अब्दुल रउफ असारी ग्राम-छज्जुबाग नसीरपुर बगीचा पो0-बिहार शरीफ थाना-बिहार शरीफ जिला- नालदा एम0सी0एस-डी0 54278	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
64	शाति देवी पति-कैलाश महतो ग्राम-महुआ मुकुदपुर पो0-महुआ थाना-महुआ जिला-वैशाली एम0सी0एस-एफ 76869	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
65	चाम्पी देवी पति-सुरेश पडित ग्राम-मानिकपुर पो0-परसौनी कपुर थाना-कथैया जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 96152	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
66	राजदेव कुमार पिता-मदन गोड ग्राम-इटवा पो0-शाहपुर थाना-शाहपुर जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 94237	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

67	दशरथ राय पिता-स्व० रघुनी राय ग्राम-रामपुर डुमरी पो०-करहटिया बुजुर्ग थाना-कटहरा ओ०पी० जिला-वैशाली एम०सी०एस-एफ 95911	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
68	खुशबु प्रवीण पति-मो० इम्तियाज असारी ग्राम-बीबीपुर पो०+थाना-काको जिला-जहानाबाद एम०सी०एस-एफ 96731	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
69	अनिता देवी पति-कालेश्वर साह ग्राम-विष्णुपुर आहोक 15 पो०-विष्णुपुर आहोक थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय एम०सी०एस-एफ 96276	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	लालसा देवी पति-रजीत कुमार ग्राम-पुरैनिया पो०-नरकटियागज थाना-शिकारपुर जिला-प० चम्पारण एम०सी०एस-एफ 95245	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
71	फुलमती देवी पति-वामश्वर सिंह ग्राम+पो०-देवन फतेहपुर थाना-खिजरसराय जिला-गया जी एम०सी०एस-एफ 64965	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
72	सुशीला देवी पति-झुलन तिवारी ग्राम-धराउत पो०-धराउत थाना-बिशुनगज जिला-जहानाबाद एम०सी०एस-एफ 95962	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
73	ललिता देवी पति-वृज मडल ग्राम-अमानतपुर पो०-कुसुम्भा थाना-कुसुम्भा जिला-शेखपुरा एम०सी०एस-एफ 90168	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

74	पुनम कुमारी पति-राजेश कुमार ग्राम-मोगल कुआँ हबीबपुरा पोस्ट+थाना-सोहसराय जिला-नालंदा एमसीएस नं०-एफ 88867	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
75	सोहन पोद्दार पिता-जय नारायण पोद्दार ग्राम-धोबोपुर बसारा पो०-किशनपुर बैकुठ थाना-हायाघाट जिला-दरभंगा एमसीएस नं० एफ 95995	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
76	मुनेफा खातुन पति-सरिफुद्दीन ग्राम-चापाखोर पो०-हतबैरमपुर थाना-आबादपुर जिला-कटिहार एम०सी०एस-एफ 93338	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
77	चुनारी देवी पति-बासो पासवान ग्राम+पो-नउरी थाना-बिरौल जिला-दरभंगा एम०सी०एस-एफ 96592	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
78	जय किशुन सिंह पिता-स्व० यदु सिंह ग्राम-बलियारी पो०-पोवान थाना-मसौढी जिला पटना एम०सी०एस-एफ 97023	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
79	कल्पना देवी पति-छविनाथ रजक ग्राम-मनियारचक सिल्हा पो०-नौवागढी थाना-मुफसिल जिला मुगोर एम०सी०एस-ई० 36027	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
80	मुन्नी देवी पति-दुखन पाण्डेय ग्राम-शास्त्री नगर पो०-सीवान थाना-नगर जिला-सीवान एम०सी०एस-एफ 97027	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

81	यास्मिन खातुन पति-मोहम्मद निजाम ग्राम-सहामत हुस्सैन लेन बरहपुरा, पो0-बरहपुरा थाना-ईशाचक जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 95536	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
82	देवपति देवी पति-मजिस्टर राय ग्राम-पूर्वी रौजा छपरा सारण पो0-छपरा थाना नगर जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 96270	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
83	प्रीती कुमारी पति-दीना कुमार ग्राम-बगुली पो0-सचौल थाना-हिसुआ जिला-नवादा एम0सी0एस-एफ 94063	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
84	सिमपी कुमारी पति-सतोष कुमार ग्राम-मुरहन वार्ड 8 पो0-मुरहन थाना-गोराडीह ओ0पी0 जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 96510	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
85	राजेश कुमार पिता- स्व0 महेन्द्र लाल ग्राम-गुमटी न0-03 सुभाष नगर, पो0-मुगेर थाना-कोतवाली जिला-मुगेर एम0सी0एस-एफ 91965	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
86	मीत लाल पासवान पिता-स्व0 बाली पासवान ग्राम+पो0-बडहारा थाना-बडहारा जिला-भोजपुर एम0सी0एस-एफ 96814	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
87	मोहम्मद खलील पिता-मो0 अब्दुल ग्राम-बरहपुरा उत्तर टोला सहामत हुस्सैन लेन पो0-बरहपुरा थाना ईशाचक जिला-भागलपुर एम0सी0एस-एफ 93431	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

88	लक्ष्मी देवी पति-जीतेन्द्र राय ग्राम+पो0-मोहनपुर थाना-शाहपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 94538	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
89	रेखा देवी पति-उमेश पोद्दार ग्राम-खुट पो0-कोरियापट्टी थाना-जदिया जिला सुपौल एम0सी0एस-एफ 95761	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
90	मजु देवी पति-मल्लिक राय ग्राम-अचलपुर पो0-सुतिहार थाना-डेरनी जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 94782	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
91	सगुफा नाज पिता-मो0 हुमैद आलम ग्राम-डुमरी पो0-पिडौली थाना-कटरा जिला मुजफ्फरपुर एम0सी0एस-एफ 96593	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
92	जीतेश कुमार पिता-धर्मेन्द्र राय ग्राम-बंगरी पो0-निमोईया थाना-घोडासाहन जिला पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-ई0 93313	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
93	शैला देवी पति-ब्रह्मदेव सिंह ग्राम-बाढ बाजार तालिमपुर वार्ड 14, पोस्ट-बाढ थाना-बाढ जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 27005	कैसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
94	राजेन्द्र गोप पिता-सुखलाल गोप ग्राम-परसन बिगहा पो0-तोप थाना-शाहजहाँपुर जिला-पटना एम0सी0एस-एफ 69594	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

95	चुल्हाई महतो पिता-राम किशुन महतो ग्राम+पो0 चैनपुर थाना-कुडवा जिला-पूर्वी चम्पारण एम0सी0एस-एफ 96369	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
96	मोहरा देवी पति-राम पुजन महतो ग्राम-सुपौली पो0-बरहिमा बाजार थाना-सिधवलीया जिला- गोपालगज एम0सी0एस-डी0 61457	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
97	ललन साह पिता-लक्ष्मण साह ग्राम+पो0-बिशुनपुरा थाना-सिधवलीया जिला-गोपालगज एम0सी0एस-एफ 95713	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
98	रेणु देवी पति-महेश कुमार ग्राम-धनछुआ पो0-बढगाव थाना-कोच जिला-गया जी एम0सी0एस-एफ 96151	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
99	साहिबुल निशा पति-हसीब अहमद ग्राम-ताजपुर टोला टार पो0-बसही थाना-जनता बाजार जिला-सारण एम0सी0एस-एफ 95170	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
100	अजुम आरा पति-मो0 इजहार ग्राम-बडी धनकर पो0-बिशनपुर जिछो थाना-सबौर जिला- भागलपुर एम0सी0एस-एफ 96362	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
101	गौरी रजक पिता-कामेश्वर रजक ग्राम+पो0-बेलारी थाना-उजियारपुर जिला-समस्तीपुर एम0सी0एस-एफ 91223	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

102	जगतारन देवी पति-पचलाल ठाकुर ग्राम-मछधी पो0-सुखेत थाना-झंझारपुर जिला-मधुबनी एम0सी0एस-एफ 95881	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
103	राम बालक यादव पिता-गोपाल यादव ग्राम-काजी बिगहा पो0-खानपुर थाना-वजीरगंज जिला-गया एम0सी0एस-एफ 20771	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
104	देवेन्द्र प्रसाद पिता- प्रेमी महतो ग्राम- जितवारपुर कुम्हिरा वार्ड 02 पो0- जितवारपुर कुम्हिरा थाना- सरायरजन जिला- समस्तीपुर एमसीएस न0- एफ 95519	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
105	सोनम कुमारी पिता- धनजय कुमार ग्राम- घोडाताप वार्ड 04 पो0- एकबालगंज थाना- बिहटा जिला- पटना एमसीएस नं0- एफ 96972	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			80,50,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 80,50,000/- (अस्सी लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 3601018437 खाता धारक का नाम- 'महावीर कैंसर इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर (बी0जी0) रीसीप्ट, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम -चितकोहरा ब्रांच, अनिसाबाद, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 CBIN 0282779 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ अनुदान राशि के उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को निश्चित रूप से उपलब्ध कराया जाय।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1748 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक
इन्दिरा गांधी आर्युविज्ञान संस्थान,
शेखपुरा, पटना-14 ।

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मदन सिंह पिता— स्व० सीताराम सिंह ग्राम+पो०— अरना थाना— मशरक जिला— सारण सीआर नं०— 108112501438218	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	संजय कुमार सिंह पिता— हरे राम सिंह ग्राम— रघुराम टोला पो०— औंटा थाना— हाथीदह जिला— पटना सीआर नं०— 108112500566875	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	लालमुनि देवी पति— रज्जीत सिंह ग्राम— हल्दी छपरा पुराण टोला पो०+थाना— मनेर जिला— पटना सीआर नं०— 108112402115351	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	रामधारी राय पिता— युगेश्वर राय ग्राम— शेरपुर डेपुरा पो०+थाना— विद्यापति नगर जिला— समस्तीपुर सीआर नं०— 108112403082014	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	अनीता देवी पति- कांग्रेस राय ग्राम+पो0- कामता थाना- बनियापुर जिला- सारण सीआर न0- 108112300316726	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	फूल कुमारी देवी पति- सुजय पासवान ग्राम- बाघा शाति पो0- डूम्हारपट्टी थाना- पुपरी जिला- सीतामढी सीआर न0- 108112403615446	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	मृत्युजय कुमार पिता- अजय कुमार यादव ग्राम- विश्वबिटि पो0- विराटपुर थाना- सोनवर्षा जिला- सहरसा सीआर न0- 108112500694334	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सानु पिता- सतोष कुमार ग्राम- कमला कॉटेज नई पटना कॉलोनी बेउर पो0+थाना- बेउर जिला- पटना सीआर न0- 108112501407312	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
9	राजदेव साह पिता- तपेश्वर साह ग्राम- सुरखीकल तिलकामाझी वार्ड 26 पो0- बडी खंजरपुर थाना- बरारी जिला- भागलपुर सीआर नं0- 108112400716420	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
10	लक्ष्मण राय पिता- लच्छन राय ग्राम+पो0- पकरी महम्मद थाना- अमनौर जिला- सारण सीआर न0- 108112501492981	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	विभा देवी पति- विनय शकर चौधरी ग्राम- मिर्जापुर जगनी वार्ड 19 पो0- रामपुरा थाना- सिंघवारा जिला- दरभंगा सीआर नं0- 108112500997019	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

12	बबिता कुमारी पति- बबलु सिंह ग्राम- बलहपुर वार्ड 08 पो0- बलहपुर थाना- नयागाव जिला- बेगूसराय सीआर न0- 108112501283320	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
13	देव नारायण साह पिता- राम फल साह ग्राम- सनपतहा डीह वार्ड 08 पो0- बनैनिया थाना- भपटियाही जिला- सुपौल सीआर नं0- 108112500690797	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
14	गोपाल राम पिता- स्व0 राम कृपाल राम ग्राम+पो0+थाना- कोइलवर जिला- भोजपुर सीआर न0- 108112500964781	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
15	लहासो देवी पति- ललन सिंह ग्राम- रामनाथ के डेरा पो0- कोरान सराय थाना- कोरस्रय जिला- बक्सर सीआर न0- 108112501173532	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
16	मो0 आरिफ अंसारी पिता- मो0 अब्दुल रजाक अंसारी ग्राम- रक्तरुहैनिया पो0- झाझा थाना- सोनो जिला- जमुई सीआर न0- 108112501201435	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
17	मुकेश प्रसाद पिता- देवेन्द्र प्रसाद ग्राम- गजियापुर वार्ड 13 पो0- चोरमा थाना- भगवानपुर जिला- सिवान सीआर न0- 108112300813592	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
18	मनकृत कुमार पिता- अरुण कुमार साव ग्राम- धनवह वार्ड 04 पो0- मननपुर थाना- बन्नूबगीचा जिला- लखीसराय सीआर न0- 108112501322783	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

19	नीलम देवी पति- राम शोभित चौधरी ग्राम- हुसैनीपुर पो0- मरीचा थाना- हलई जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112500233345	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
20	देवलाल राय पिता- राम खेलावन राय ग्राम+पो0- महिसारी थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112500702361	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
21	मो0 नियामुल पिता- अब्दुल जलील ग्राम- कस्टोली पो0- समसा थाना- मसूरचक जिला- बेगूसराय सीआर नं0- 108112501296740	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
22	पूनम देवी पति- मुगेश्वर प्रसाद ग्राम- जट डुमरी वार्ड 06 पो0- डुमरी थाना- पुनपुन जिला- पटना सीआर नं0- 108112501441693	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
23	रामप्रीत महतो पिता- सहदेव महतो ग्राम+पो0- महमादा थाना- बरुराज जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 108112501142459	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
24	तारा देवी पति- जग बहादुर दास ग्राम- रौजा वार्ड 44 पो0- छपरा थाना- नगर जिला- सारण सीआर नं0- 108112501527920	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
25	फातमा नूरी पिता- मो0 उमर ग्राम- पररी वार्ड 15 पो0- सोनकी थाना- फेकला जिला- दरभंगा सीआर नं0- 108112501245843	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

26	ममता देवी पति- नरेश कुमार ग्राम- चहुटा वार्ड 08 पो0- त्योथा थाना- बेनीपट्टी जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112500834947	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
27	क्रांति देवी पति- मुद्रिका यादव ग्राम- महीदपुर बारा वार्ड 03 पो0- हासापुर थाना- नरहट जिला- नवादा सीआर नं0- 108112501375607	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
28	मीणा देवी पति- ललन यादव ग्राम- बडही बिगहा वार्ड 14 पो0+थाना- गुरुआ जिला- गया सीआर नं0- 108112501103364	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
29	माधवी कुमारी पिता- मुन्ना कुमार ग्राम- सोहॉसी वार्ड 02 पो0- सोहॉसा थाना- देवरिया जिला- मुजफ्फरपुर सीआर नं0- 108112500958005	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	सीता देवी पति- रामनरेश राम ग्राम- बबीरा वार्ड 03 पो0- पी हलई थाना- ताजपुर जिला- समस्तीपुर सीआर न0- 108112501294313	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	सोनी कुमारी पति- मनोज कुमार ग्राम- शाहपुर पो0- पिंजौर थाना- परसबिगहा जिला- जहानाबाद सीआर न0- 108112501079641	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	महेश कुमार राम पिता- प्रेम राम ग्राम- रामपुर चकलाल पो0+थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112500815816	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

33	वीरेन्द्र यादव पिता- सहदेव यादव ग्राम- बैरवा पो0- साहरघाट थाना- मधवापुर जिला- मधुबनी सीआर न0- 108112501408653	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	गामा यादव पिता- चन्द्रिका यादव ग्राम- भिखाबांध वार्ड 05 पो0- बी सतजोडा थाना- दरौदा जिला- सिवान सीआर न0- 108112300324974	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
35	जय नारायण यादव पिता- लक्ष्मण यादव ग्राम- बसखोरा वार्ड 01 पो0- बसखोरा थाना- मरौना जिला- सुपौल सीआर न0- 108112500929901	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
36	लालती देवी पति- नरेश यादव ग्राम- घुरन बिगहा वार्ड 08 पो0- काजीसराय थाना- काको जिला- जहानाबाद सीआर नं0- 108112500966300	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
37	अरुण कुमार पिता- रामानंद प्रसाद ग्राम- महाराजगज कुर्मी टोला वार्ड 58 पो0- गुलजारबाग थाना- आलमगज जिला- पटना सीआर नं0- 108112500843615	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
38	गुलाब देवी पति- शिवलाल मंडल ग्राम- करहिया वार्ड 10 पो0- अभुआर थाना- किशनपुर जिला- सुपौल सीआर न0- 108112501219711	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
39	गुलजीन देवी पति- महेश्वर पासवान ग्राम- रमजानी पो0- सिलनाथ रूपौली थाना- जानकी नगर जिला- पूर्णियाँ सीआर न0- 108112500568291	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

40	रुही बक्सी पिता- बक्सी गुलाम महमद ग्राम- मोगलपुरा शिव मंदिर वार्ड 65 पो0- झाउगंज थाना- खाजेकला जिला- पटना सीआर न0- 108112501080666	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
41	पवन कुमार पिता- माहेश्वरी यादव ग्राम+पो0- धुरगौव थाना- भरही जिला- मधेपुरा सीआर न0- 108112500704613	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	सुरेन्द्र पासवान पिता- जोगी पासवान ग्राम- चरैयापो0- खुटहा बैजनाथपुर थाना- भरगामा जिला- अररिया सीआर न0- 108112402359888	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	आकाश कुमार पिता- सुनिल साह ग्राम+पो0- भगवानपुर थाना- परसौनी जिला- सीतामढी सीआर नं0- 108112500710691	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
44	बनारसी देवी पति- महेश्वर पासवान ग्राम+पो0- रामपुर बघेल थाना- सहदेई जिला- वैशाली सीआर न0- 108112501093318	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
45	अरविन्द कुमार दुबे पिता- रामेश्वर दुबे ग्राम- रूलही पो0- रूलही निजामत थाना- मझौलिया जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर न0- 108112501422133	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
46	रामावती देवी पति- कृष्णा यादव ग्राम- एकारी पो0+थाना- एकमा जिला- सारण सीआर न0- 108112501293074	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

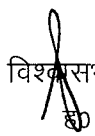
47	सखामुनि देवी पति- स्व० गुलाब मेहतर ग्राम+पो०+थाना- सहार जिला- भोजपुर सीआर न०- 108112501284687	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
48	नूर मोहम्मद पिता- करीम असारी ग्राम- कोररा पो०- कुनौनी थाना- बाका जिला- बाका सीआर न०- 108112501331049	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
49	प्रभुनाथ साह पिता- देवनारायण साह ग्राम+पो०- सिधवलिया थाना- महम्मदपुर जिला- गोपालगंज सीआर नं०- 108112500470568	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
50	तेतरी देवी पति- बुनीलाल यादव ग्राम- गोपालपुर पो०- मतेया खास थाना- कुचायकोट जिला- गोपालगंज सीआर न०- 108112300104681	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
51	मरछी देवी पति- रामकेश्वर यादव ग्राम- कोइरी बिगहा पो०- कुंडा थाना- मुफसिल जिला- औरंगाबाद सीआर न०- 108112501258970	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
52	जितेद्र मांझी पिता- जामुन मांझी ग्राम- जोलह बिगहा पो०- आइमा चौकी थाना- खिजरसराय जिला- गया जी सीआर न०- 108112401185161	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
53	बिन्दा महतो पिता- स्व० खेलावन महतो ग्राम- भरतपुर सिघरा वार्ड 12 पो०- अदलपुर थाना- महुआ जिला- वैशाली सीआर नं०- 108112501367779	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

54	निर्मला देवी पति- प्रदीप सिंह ग्राम- दलसागर थाना- औद्योगिक जिला- बक्सर सीआर नं०- 108112401588123	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
55	सजू देवी पति- रविद्र सिंह ग्राम- जैवर वार्ड 10 पो०- चादघाट थाना- गौरीचक जिला- पटना सीआर नं०- 108112501107220	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
56	राधा देवी पति- विशुनदेव यादव ग्राम- परकोलिया पो०- बेलसंडी थाना- विथान जिला- समस्तीपुर सीआर नं०- 108112403386248	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
57	जैनुल नेशा पति- शाह मुहमद असारी ग्राम- झखरा वार्ड 09 पो०- झखरा थाना- जगदीशपुर जिला- पश्चिम चम्पारण सीआर नं०- 108112501414955	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
58	शहनाज बेगम पति- शमीम अहमद असारी ग्राम+पो०- कपरौल सिरोमन थाना- रिगा जिला- सीतामढी सीआर नं०- 108112501370796	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
59	कुमारी पुष्पम पति- दिलीप कुमार सिंह ग्राम+पो०- लौना थाना- तारापुर जिला- मुंगेर सीआर नं०- 108112401575102	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
60	मो० बदरुज्जमा पिता- मो० आदुल कयूम ग्राम- मद्दोपुर पो०- ताजपुर थाना- बंगरा जिला- समस्तीपुर सीआर नं०- 108112500566697	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
61	मैमून निशा पति- मो० शफिकुल्लाह असारी ग्राम- परिहार वार्ड 07 पो०- परिहार जिला- सीतामढी सीआर नं०- 108112501344949	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

62	नूरेण निशा पति- अमजद अली ग्राम- चुरबी घाट पो0- खुदना रूपसपुर थाना- रौतारा जिला- कटिहार सीआर न0- 108112501149054	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
63	मुफ्तीदा खातून पति- मोसिम मिया ग्राम- मुरौवतपुर वार्ड 08 पो0- मुरौवतपुर थाना- सहदेई जिला- वैशाली सीआर नं0- 108112501126054	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
64	सुनीता देवी पति- शत्रोहन सिंह ग्राम- भवदेपुर टोले इस्लामपुर पो0- भगवानपुर पिपराढी थाना- रिगा जिला- सीमातढी सीआर न0- 108112402460519	कैंसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
65	आशा देवी पति- राम बालक पासवान ग्राम- मोहिउद्दीनपुर पो0- हसा थाना- बारिसनगर जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112500033575	कैंसर रोग	10,000	दस हजार स्वीकृत।
66	सिद्धदेश्वर राम पिता- स्व0 ब्रह्मदेव राम ग्राम- दाउदपुर पो0- कल्पा थाना- जहानाबाद जिला- नहानाबाद सीआर न0- 108112500751583	Cataract surgery	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
67	निभा वर्मा पति- मुकेश कुमार वर्मा ग्राम- मोहन नगर वार्ड 33 पो0- छपरा टाउन थाना- नगर जिला- सारण सीआर न0- 108112501355207	हीप रिप्लेशमेट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
68	नाजरा पिता- सुलेमान ग्राम- बरबट्टा पो0- विष्णुपुर थाना- अमौर जिला- पूर्णियाँ सीआर नं0- 108112403693196	कोकलियर इम्प्लांट	4,00,000	चार लाख स्वीकृत।

69	धर्मवीर कुमार पिता- धर्मेन्द्र पासवान ग्राम- बखरी बुजुर्ग वार्ड 11 पो0- रूपौली बुजुर्ग थाना- मुसरीघरारी जिला- समस्तीपुर सीआर नं0- 108112500446519	Spine Surgery	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
70	राजेदर प्रसाद पिता- रामअवध प्रसाद ग्राम+पो0- महमदा थाना- गरखा जिला- सारण सीआर नं0- 108112501337179	हृदय रोग सीएडी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
			53,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 53,75,000/- (तिरपन लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते मे उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176918 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-503 2011 9556 खाता धारक का नाम- "निदेशक, इन्दिरा गांधी आयुर्विज्ञान सं0 शेखपुरा पटना" खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-इंडियन बैंक, शाखा का नाम-आई0जी0आई0एम0एस0, शेखपुरा पटना, 800014 RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000i507 मे अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- गुर्दा प्रत्यारोपण के मामले में स्वीकृत अनुदान राशि का इस्तेमाल सिर्फ गुर्दा रोग की शल्य चिकित्सा के लिए अनुमान्य होगा, न कि चिकित्सोपरान्त दवा/डायलेसिस आदि के लिए।
- यदि स्वीकृतादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।


 (डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
 निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1749(14)

पटना, दिनांक 24/6/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं०. 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

24/6/23

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,

महावीर आरोग्य संस्थान,
नीयर चिरैयाटाड ओवर ब्रिज,
अपोजीट पेट्रोल पम्प,
कंकड़बाग, पटना- 800020

पटना, दिनांक.

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कृष्णा प्रसाद पिता- स्व० भोला प्रसाद ग्राम- बेगम की हवेली पानी टकी पो०- झाउगज थाना- खाजेकला जिला- पटना रजि नं०- 2526/11227	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			1,35,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,35,000/- (एक लाख पैंतीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता संख्या- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-1843085503 खाता धारक का नाम-निदेशक 'महावीर आरोग्य संस्थान, नीयर चिरैयाटांड ओवर ब्रिज, कंकड़बाग पटना 20' खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- सेन्ट्रल बैंक आफ इंडिया, चिरैयाटांड, पटना, RTGS/IFSC कोड सं० CBIN 0282213 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

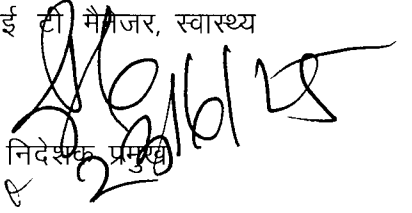
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1750(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196728 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई टी मैजिस्टर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025

निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं

बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध सस्थान प्रा० लि०,

ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	चालो साव पिता- स्व० राजो साव ग्राम- सिकदरा वार्ड 03 पो०+थाना- सिकन्दरा जिला- जमुई	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
2	वीरेंद्र मुखिया पिता- कृष्णा देव मुखिया ग्राम- कौनिया पो०- उसरी थाना- के अस्थान जिला- दरभंगा	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	महेन्द्र सिंह पिता- विन्देश्वर सिंह ग्राम- जनकपुर वार्ड 03 पो०- जनकपुर थाना- उजियारपुर जिला- समस्तीपुर	हृदय रोग पीटीसीए	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राहुल कुमार पिता- विनय कुमार ग्राम-सदारगली बनवारी टोला वार्ड 65 पो०- झाउगंज थाना- खाजेकला जिला- पटना	हृदय रोग पेसमेकर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			4,00,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,00,000/- (चार लाख) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके स्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता स० 30121380424,

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176928... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 165902000000041 खाता धारक का नाम—“निदेशक, जीवक हार्ट अस्पताल एवं शोध संस्थान प्रा0 लि0 कंकड़बाग, पटना” खाते का प्रकार— चालू, बैंक का नाम—इन्डियन ओवरसीज बैंक, शाखा का नाम—कंकड़बाग, पटना(1659) RTGS/IFSC कोड सं0 IOBA 0001659 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त “बिहार लोक माग वसूली अधिनियम” के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1751(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि—लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान,
फुलवारीशरीफ, पटना-801505

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नारायण शर्मा पिता- हरेराम शर्मा ग्राम- कुआवन पो०- टिकठी थाना- ब्रह्मपुर जिला- बक्सर	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
2	राजा कुमार पिता- सोहन कुमार गुप्ता ग्राम- कुआरी खुर्द पो०- बलवा कुआरी थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
3	मुकेश कुमार झा पिता- कुलेश्वर झा ग्राम+पो०- माणिक चौक थाना- रून्नीसैदपुर जिला- सीतामढ़ी	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
4	रोहित राज पिता- अरुण साव ग्राम- नालंदा कॉलोनी रामचन्द्रपुर पो०- बिहारीशरीफ थाना- लहेरी जिला- नालंदा	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।

६-

5	अर्जुन कुमार पिता— रामलाल यादव ग्राम— रोशनपुर सपहॉ पो0— सपहा थाना— सुगौली जिला— पूर्वी चम्पारण	ड्रामा	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
6	रमेश प्रसाद सिंह पिता— स्व0 जमुना प्रसाद सिंह ग्राम— श्यामपुर ऐराजी पो0— मधुरापुर थाना— बिदुपुर जिला— वैशाली	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
7	सोभा देवी पति— सुरेश यादव ग्राम— बिचली मलाही पो0+थाना— बाढ जिला— पटना	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	रामेश्वर मिश्रा पिता— बृदा वन मिश्रा ग्राम— बेला पो0— बारा कोरियम थाना— पालीगंज जिला— पटना	ड्रामा	55,000	पचास हजार स्वीकृत।
9	कपिलदेव प्रसाद ग्राम— सैदबरही पो0— जैतपुर थाना— चडी जिला— नालदा	बोध नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
10	त्रिभुवन प्रसाद पिता— स्वामीनाथ प्रसाद ग्राम— न्यू जक्कनपुर छपरा कॉलोनी पटना पो0— पटना जी0पी0ओ0 थाना— जक्कनपुर जिला— पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैतीस हजार स्वीकृत।
11	जय प्रकाश पूर्वे पिता— बैजू पूर्वे ग्राम— श्यामपुर पो0— नरमा थाना— अलीनगर जिला— दरभंगा	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
12	अचला कुमारी पिता— अशोक कुमार ग्राम— मेन रोड दाउदनगर पो0+थाना— दाउदनगर जिला— औरंगाबाद	गुर्दा प्रत्यारोपन	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।

13	बेबी कुमारी पति— श्रवण कुमार ग्राम+पो0— कल्याणपुर थाना— विभूतिपुर जिला— समस्तीपुर	प्लास्टिक सर्जरी	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
14	अयाश राज माता— बेबी कुमारी ग्राम+पो0— कल्याणपुर थाना— विभूतिपुर जिला— समस्तीपुर	प्लास्टिक सर्जरी	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
15	तान्या कुमारी माता— पूजा कुमारी ग्राम— नवडीहा पो0— धोबियाकालपुर थाना— नौबतपुर जिला— पटना	प्लास्टिक सर्जरी	25,000	पच्चीस हजार स्वीकृत।
16	मिठो देवी पति— रविन्द्र यादव ग्राम— आमतार पो0— लेमुआबाद थाना— पडारक जिला— पटना	नी रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
17	ललिया देवी पति— सुरेश पासवान ग्राम— नजदीक शाति निकेतन पो0— भीखनपुर थाना— अहियापुर जिला— मुजफ्फरपुर	बोथ नी रिप्लेसमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
18	बिनोद कुमार राय पिता— राम पुनीत राय ग्राम+पो0+थाना— अगारघाट जिला— समस्तीपुर	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
19	रेखा देवी पति— अशोक राम ग्राम— बस स्टैट बनमनखी पो0+थाना— बनमनखी जिला— पूर्णियाँ	हीप रिप्लेसमेंट	1,20,000	एक लाख बीस हजार स्वीकृत।
20	राकेश कुमार पिता— ज्ञानचंद राय ग्राम— विशनपुर पो0— बिशनपुर थाना— डडारी जिला— बेगूसराय	ब्रेन ट्युमर	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

8

21	शिवजी यादव पिता- बृज यादव ग्राम- नियर काली मंदिर चदवा टोला पो0- चंदवा थाना- टाउन जिला- भोजपुर	हृदय रोग एमभीआर	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
22	नगीया देवी पति- मिथलेश कुमार ग्राम- सिंहपोखर पो0- चिलीम थाना- डोभी जिला- गया जी	बोथ नी रिप्लेसमेट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
23	विशाल कुमार पिता- प्रदीप राय ग्राम- अलेखी टोला पो0- नेकनाम टोला थाना- बडहरा जिला- भोजपुर	Deformity Correction	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
24	साक्षी कुमारी पिता- सरबजीत सिंह ग्राम- छोटका लहना पो0- चक्की थाना- सिमरी जिला- बक्सर	TBM with Hydrocephalis SLE	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
25	राज नदनी कुमारी पिता- करमु चौधरी ग्राम- अकलूचक पो0- जमसौत थाना- शाहपुर जिला- पटना	Splecrestomy सर्जरी	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति मे।
26	सुलेमान फजले अली पिता- नजरूल रहमान ग्राम- इब्राहिमपुर वार्ड 09 पो0- हरपुर कराह थाना- बनियापुर जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
27	प्रियाशी कुमारी पिता- अम्बुज कुमार ग्राम- देवकुली धाम वार्ड 03 पो0- देवकुली धाम थाना- बिरौल जिला- दरभंगा	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
28	आयुष कुमार पिता- ललन दास ग्राम- अकबरपुर पो0- सितलपुर थाना- दरियापुर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

29	भोला राम पिता— रामदयाल राम ग्राम— पकडिया वार्ड 02 पो0— मोगलनिया थाना— मधुबन जिला— पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
30	सिद्धार्थ कुमार पिता— स्व0 हरिमोहन मिश्रा ग्राम+पो0— शेरपुर थाना— मनेर जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
31	राजन कुमार सिंह पिता— शैलेन्द्र कुमार सिंह ग्राम— सलाहपुर पो0+थाना— आन्दर जिला— सिवान	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
32	योगेन्द्र शर्मा पिता— शिव जी ठाकुर ग्राम+पो0— पकडी महम्मद थाना— अमनौर जिला— सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
33	सुनील कुमार राय पिता— पंचदेव राय ग्राम— हरिहरपुर पो0— परसागढ थाना— एकमा जिला— सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
34	अख्तरी खातून पति— जाहिदा खान ग्राम— टोला परवेज खान पो0— मानपुर थाना— खैरा जिला— सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
35	परमेश्वरी देवी पति— राम प्रसाद छिट्टान ग्राम— भाटावारी पो0— सुग्गापट्टी थाना— फुलपरास जिला— मधुबनी	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
36	सत्यनारायण चौधरी पिता— रामपति चौधरी ग्राम— चादपुर बैरिया वार्ड 12 पो0+थाना— आजमनगर जिला— कटिहार	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।

37	मीणा कुमारी पति- बुनेला राम ग्राम- कजरी बुजुर्ग वार्ड 04 पो0- कजरी बुजुर्ग थाना- जन्दाहा जिला- वैशाली	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
38	भगवान प्रसाद पिता- जगरनाथ प्रसाद ग्राम+पो0- कोपवा थाना- कोरस्रय जिला- बक्सर	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
39	गीता कुँअर पति- स्व0 शिव कुमार भगत ग्राम+पो0- देवालखा भिदूठी थाना- बनियापुर जिला- सारण	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
40	मुकेश कुमार सिंह पिता- राम जनम सिंह ग्राम- नयागांव उर्फ मोहम्मदपुर पो0- नयागज थाना- देसरी जिला- वैशाली	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
41	शिवराज पडित पिता- बुद्धदेव पडित ग्राम+पो0- बारसोनी थाना- सदर जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
42	विनोद मंडल पिता- जगेश्वर मंडल ग्राम- नवकाडीह वार्ड 11 पो0- छापा थाना- झांझा जिला- जमुई	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
43	कन्हैया साह पिता- चनल साह ग्राम- ठाडी वार्ड 07 पो0- नावाडीह सिल्फरी थाना- चन्द्रमडीह जिला- जमुई	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
44	रामनाथ सिंह पिता- रामअशीष सिंह ग्राम+पो0- सेदहा थाना- तरारी जिला- भोजपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

45	कुती देवी पति- विजय सिंह ग्राम- धरमदास डिहरी पो0- डुमरिया थाना- तरारी जिला- भोजपुर	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
46	आशा सिन्हा पति- स जय कुमार ग्राम- नियर राजेद्र सरोवर देवराहा बाबा कॉलोनी पो0- छपरा थाना- नगर जिला- सारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
47	हमदम पिता- सरफराज ग्राम- गोखुलपुर वार्ड 01 पो0- गोखुलपुर थाना- परपतगंज जिला- अररिया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
48	मिनहाज आलम पिता- नूरजमा आलम ग्राम+पो0- मीरपुर थाना- रौटा जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
49	ब्रजेश सिंह पिता- सुदामा सिंह ग्राम+पो0- अकौना थाना- गोह जिला- औरंगाबाद	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
50	लक्ष्मी गुप्ता पिता- केशवर साह ग्राम- नायक टोला वार्ड 07 पो0+थाना- हरपुर जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
51	सानिया परवीन पिता- तबारक असारी ग्राम- फतेहपुर वार्ड 11 पो0- बडीबाग थाना- खैरा जिला- जमुई	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
52	मो0 नाजिम पिता- हसिफुल ग्राम- कुचियामौर वार्ड 12 पो0- बिघौर हाट थाना- बारसोई जिला- कटिहार	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
			41,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 41,20,000/- (इकतालीस लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक

ट्रांसफर के माध्यम से आपके सरथान/अस्पताल के खाता सं० 579310110008985 खाता धारक का नाम—Patient Care Fund 'एम्स, पटना' खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम —एम्स, पटना, फुलवारीशरीफ, पटना, बिहार, 801507 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0005793 में अंतरित किया जाता है।

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार—बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह० /—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 175214)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196928 ... की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई० डी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

९

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
राजेश्वर अस्पताल,
नीयर बहादुरपुर फलाई ओवर,
ककडबाग, पटना-800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कुसुम देवी पति-अर्जुन प्रसाद ग्राम-पो0-इसरौली थाना-मढौरा जिला-सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	हरेश सिंह पिता-मणिराम सिंह ग्राम-जहागीरपुर सलखन्नी वार्ड 02 पोस्ट-जहागीरपुर सलखन्नी थाना-महुआ जिला-वैशाली	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
3	मो० फखरुउद्दीन पिता-मो० निसार उद्दीन ग्राम-पानी टकी नबाब बहादुर रोड, पो०-गुलजारबाग, थाना-आलमगंज जिला-पटना	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	राम नरेश चौधरी पिता-स्व० गनपत चौधरी ग्राम-खजौटीया पो०-घटहो थाना-घटहो जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
5	सगीता देवी पति-अवधेश साह ग्राम-मौलवी चक नवादा 07 पो०-चकनवादा थाना-दलसिंह सराय जिला-समस्तीपुर	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।

6	श्याम नन्दन राय पिता-महथ राय ग्राम+पो0-मदारपुर थाना-भेल्दी जिला-सारण	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
7	मनोज कुमार मल्लिक पिता-कमलकान्त मल्लिक ग्राम-गुप्ता निवास इद्रा नगर पोस्टल पार्क रोड न0-3 पो0-जी0पी0ओ0 थाना-जक्कनपुर जिला-पटना	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
8	मानिक कुमार दास पिता-सदानन्द दास ग्राम-भाग बारसोई पोस्ट+थाना-बारसोई जिला-कटिहार	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			₹ 9,40,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 9,40,000 /- (नौ लाख चालीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 1499002109000623 खाता धारक का नाम-"राजेश्वर अस्पताल" खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-पंजाब नेशनल बैंक, शाखा का नाम ककडबाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 PUNBO 149900 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रायुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1753(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,

निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,

पारस एच०एम०आर आई० अस्पताल,

राजाबाजार,

पटना- 800014

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मुस्तारीम खातून पति- इस्राइल खान ग्राम- टिकरी वार्ड 09 पो०- टिकठी थाना- शाहपुर जिला- भोजपुर यूएचआईडी नं०- 3000577368	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	सतोष कुमार पिता- किशोरी राय ग्राम- खैरा पो०- जैतपुर थाना- सरैया जिला- मुजफ्फरपुर यूएचआईडी नं०- 3000573372	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	सन्तु प्रसाद पिता- सीताराम प्रसाद ग्राम- मेघवार वार्ड 15 पो०- लद्धी सरारी थाना- जामो बाजार जिला- सिवान यूएचआईडी नं०- 3000583002	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	राम प्रकाश मिश्र पिता- सियाराम मिश्र ग्राम- आसी वार्ड 05 पो०- आसी थाना- घनश्यामपुर जिला- दरभंगा यूएचआईडी नं०- 3000583823	फेफरा रोग सर्जरी	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

२

5	निर्मला कुमारी पिता-जनार्दन जमादार ग्राम-लाल बिगहा पो0-अजनौरा थाना-नुरसराय जिला- नालंदा यु0एचआईडी-3000568603	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
6	जमील असारी पिता-मो0 अजीमुद्दीन ग्राम-नया गंज वार्ड 11 पो0-नयागंज थाना-देसरी जिला-वैशाली यु0एचआईडी-3000570708	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
7	नूरजहाँ खातुन पति-महबुब असारी ग्राम-हाटबरौल वार्ड 09 पो0-टेगोर थाना आजम नगर जिला-कटिहार यु0एचआईडी-3000578938	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।
8	सलाम पिता-अब्दुल गुफार ग्राम-बलवाटोली पो-हफनिया थाना-अमौर जिला-पूर्णिया यु0एचआईडी-3000576803	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
9	प्रियंका कुमारी पति-चन्द्रशेखर राय ग्राम-धर्मपुर राम राय वार्ड 15 पो0-ममरेजपुर थाना-देसरी जिला- वैशाली यु0एचआईडी-3000559614	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
10	रीना वर्मा पति-स्व0 सुशील कुमार वर्मा ग्राम-पलैट न0-509 वसुंधरा पैलेस आशियाना दीघा रोड पो0-आशियाना नगर थाना-राजीव नगर जिला-पटना यु0एचआईडी-3000572098	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत ।
11	उर्मिला देवी पति-राधे कापर ग्राम+पो0-रघुनाथपुर थाना-साहेबपुर कमाल जिला-बेगुसराय यु0एचआईडी-3000559644	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत ।

12	अशेशर पाण्डेय पिता-गुपनाथ पाण्डेय ग्राम-हुलास छपरा पो0-लक्ष्मीगज थाना-गोरेया कोठी जिला- सीवान यु0एचआईडी-3000570838	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
13	अनिल चौधरी पिता-गजाधर चौधरी ग्राम-हरौली फतेहपुर वार्ड 12 पो0-हरौली थाना-हाजीपुर जिला-वैशाली युएचआईडी-3000575511	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
14	सैयद गुलाम मोहम्मद पिता-स्व0 अब्दुल हई ग्राम-छोटी काजीपुरा वार्ड 32 पो0-लालबाग थाना लहेरियासराय जिला- दरभंगा यु0एचआईडी-3000575975	कैसर रोग	40,000	चालीस हजार स्वीकृत।
			7,05,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 7,05,000/- (सात लाख पाँच हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0-30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176728 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 16498260000011 खाता धारक का नाम-पारस एचएमआरआई अस्पताल, ए यूनिट आफ पारस एचपी0एल0, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-AMBITION SAPPHIRE BESIDES RELIANCE TRENDS RAJA BAZAR BAILEY ROAD PATNA BIHAR-800014, RTGS/IFSC कोड सं0-HDFC0001649 में अंतरित किया जाता है।
3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
5. मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं प्राक्कलन में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना उत्पन्न हो सकती है। उक्त मामले में किसी भी वित्तीय अनियमितता की जिम्मेवारी आपकी होगी।
6. यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

8

7. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
8. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1754 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/ आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
९

स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
CISRO Hospital,
सगुना मोड, दानापुर,
पटना 801503

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सरस्वती देवी पति- भिरगू नाथ सिंह ग्राम- मधुबनी पो०- बसतनपुर बगला थाना- अमनौर जिला- सारण	ट्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	कौशिल्या देवी पति- देवली महतो ग्राम- आनदपुर पो०+थाना- सोनपुर जिला- सारण	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
3	गुडीया देवी पति- सजय कुमार ग्राम- सुल्तानपुर त्रिमूर्ति नगर नियर मथ पो०- दानापुर कैट थाना- दानापुर जिला- पटना	स्पाइन सर्जरी	1,45,000	एक लाख पैंतालीस हजार स्वीकृत।
			3,05,000	

2. उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,05,000/- (तीन लाख पॉंच हजार) ₹० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स० 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स०-39196290026 खाता धारक का नाम-KUMAR AND SARRAF HEALTH CARE PRIVATE LTD खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम-एस०बी०आई० ग्राउंड फ्लोर ओजोन प्लाजा नीयर आर०पीएस० मोड बेली रोड, RTGS/IFSC कोड स० SBIN0011675 में अंतरित किया जाता है।

६-

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधी मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

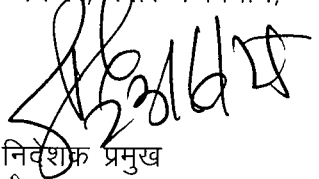
निदेशक प्रमुख

ज्ञापक 1755 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों मे)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

निदेशक,
सर्गाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी
सेंटर नीयर डी0एम0सी0एच0 लहेरिया सराय
दरभंगा-846003

पटना, दिनांक.

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक- 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अखतरी खातून पति- मो0 यासीन ग्राम- सपरी पो0- सकरपुरा थाना- हसनपुर जिला- समस्तीपुर	स्पाईन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
			₹ 1,00,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 176928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-38022630797 खाता धारक का नाम-सर्गाफ आर्थो स्पाईन एंड मेटरनीटी सेंटर खाते का प्रकार- बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-डी0एम0सी0 कैम्पस दरभंगा, RTGS/IFSC कोड स0 SBIN0003025 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार

निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

- 6 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1756 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सभी संबंधित मरीज को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं0सं0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
रुबन मेमोरियल अस्पताल,
19 पाटलीपुत्रा कालोनी,
नियर पाटलीपुत्रा गोलम्बर,
पटना-800013

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है –

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	पवन कुमार पिता- स्व0 विश्वनाथ प्रसाद साह ग्राम+पो0+थाना- पुनौरा जिला- सीतामढ़ी	ड्रामा	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	गुड्डू कुमार पिता- विश्वनाथ सिंह ग्राम- बरुआ बहुआरा पो0- बिदुपुर थाना- राजापाकर जिला- वैशाली	गुर्दा प्रत्यारोपण	3,00,000	तीन लाख स्वीकृत।
			3,50,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹, 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) रु0 के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0-32881734032 खाता धारक का नाम Ruban Patliputra Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- State Bank of India शाखा का नाम -एस0एम0ई0 ब्रांच, डाकबगला रोड, पटना-800001 RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0001513 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा। प्राक्कलन CGHS के दर पर ही निर्गत किया जाय।

५

- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1757 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं० 496928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबंधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

1758(16)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक/अधीक्षक,
फोर्ड अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर (प्रा०) लि०,
रामकृष्णा नगर, पटना- 800027

पटना, दिनांक 24/6/2025

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	बबलू कुमार पिता- रमाशंकर प्रसाद ग्राम- बेलवा पकड़िया पो०- मझरिया किसुन थाना- नौतन जिला- पश्चिम चम्पारण	ACL	40,000	चालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	महेश पासवान पिता- अजब पासवान ग्राम- हसनपुर सूरत पो०- पटोरी थाना- शाहपुर पटोरी जिला- समस्तीपुर	Nephrotic Syndrome	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	प्रिया कुमारी पिता- गणेश प्रसाद ग्राम- नवचेतना पथ शिवपुरी पो०- अनीसाबाद थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
4	महेश प्रसाद गुप्ता पिता- महमूद चक पो०+थाना- नयागाव जिला- सारण	हृदय रोग PCI	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।

5	नेहा कुमारी पिता- राजेश्वर ठाकुर ग्राम- बहादुरपुर पो0+थाना- चडी जिला- नालदा	स्पाइन सर्जरी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
6	पंकज कुमार पिता- सुरेन्द्र साव ग्राम+पो0- नौवान थाना- अस्थवां जिला- नालदा	ड्रामा	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	निभा भदानी पति- स्व0 सुनील कुमार ग्राम+पो0+थाना- परवलपुर जिला- नालदा	हृदय रोग सीएबीजी	1,00,000	एक लाख स्वीकृत।
8	शांति देवी पति- गणेश प्रसाद ग्राम- महाराजगज पो0- मटपा थाना- कुटुम्बा जिला- औरंगाबाद	हृदय रोग पीटीसीए	85,000	पचासी हजार स्वीकृत।
9	रौशन कुमार पिता- विलाश केवट ग्राम- सिकरीपर पो0- बारा थाना- वेन जिला- नालदा	स्पाइन सर्जरी	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			7,70,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि रू0 7,70,000/- (सात लाख सत्तर हजार) मात्र के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 196928.....द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 31792937290, खाता धारक का नाम- फोर्ड हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर प्रा0 लिमिटेड, खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा का नाम-हनुमान नगर पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN0009005 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1758(14)

पटना, दिनांक

24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कड़िका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
श्री साई अस्पताल कंकड़बाग
वेस्ट आफ राजेन्द्र नगर ओवर ब्रीज
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अनीता देवी पति- मनोज कुमार ग्राम- गालीमपुर पो०- सलेमपुर थाना- करायपरसुराय जिला- नालदा	Tympanoplasty	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	कविता कुमारी पिता- दिलीप साव ग्राम- पुनपुन बाजार पो०+थाना- पुनपुन जिला- पटना	Vascular Malformation	1,00,000	एक लाख स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	सुनील कुमार यादव पिता- कमलेश्वरी यादव ग्राम+पो०- मिरदौल थाना- नरपतगंज जिला- अररिया	ड्रामा	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	पुनम कुमारी पिता- रामजी रजक ग्राम- वेस्ट आनदपुरी बोरिंग कैनाल रोड पो०- जी०पी०ओ० थाना- श्रीकृष्णपुरी जिला- पटना	Left Ureteric Calculus	50,000	पचास हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			3,20,000	

- 2 उक्त अनुदानों की कुल राशि ₹ 3,20,000/- (तीन लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० ९

30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0 440720110000219 खाता धारक का नाम—“अखिलेश कुमार सिंह हौस्पीटल प्रा0 लि0” खाते का प्रकार—चालु, बैंक का नाम— बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम आर0 एन0 कालोनी ब्रांच पटना—16, RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।

इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1759 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख
९

सं0 सं0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
सवेरा कैंसर एंड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
जीसी 5/जीसी 6,
डा० आरएन सिंह रोड, लौहिया नगर,
कंकडबाग पटना-20

पटना, दिनांक.....

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	सुनीता देवी पति- शिव बालक पासवान ग्राम-पो०- सुइथा थाना- परसा बाजार जिला- पटना	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
2	राजन्ती देवी पति- वीरेदर सिंह ग्राम- साधपुर छहत्तर वार्ड 08 पो०+थाना- दाउदपुर जिला- सारण	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	ऐश्वर्या अशुमान पिता- सुरेश कुमार वर्मा ग्राम- तरी मोहल्ला नियर फिश मार्केट पो०- आरा थाना- टाउन जिला- भोजपुर	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	आशा श्रीवास्तव पति- ओमप्रकाश श्रीवास्तव ग्राम- नई बस्ती महादेवा पो०- सिवान थाना- महादेवा जिला- सिवान	कैंसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

5	मास्टर मोहित कुमार पिता- सुनील कुमार ग्राम- 30 यादव गली मोहनपुर पुनाईचक पो0+थाना- शास्त्रीनगर जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
6	राजेश कुमार पिता- बशी प्रसाद साह ग्राम- राधानगर पो0+थाना- कटोरिया जिला- बाका	कैसर रोग	35,000	पैंतीस हजार स्वीकृत।
			3,95,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,95,000/- (तीन लाख पन्चानवे हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 440720110000498 खाता धारक का नाम- Savera Cancer & Multispeciality Hospital खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- राजेन्द्र नगर कोलनी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 BKID0004407 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलाकर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/-

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1760 (14)

पटना, दिनांक

24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई0 टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी सबधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-01 /2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बुद्धा कैसर सेक्टर,
नहर रोड, लेफ्ट 2 नहर चौक,
रूपसपुर, बेली रोड
पटना-801503

पटना, दिनांक

विषय — मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है —

क्रमांक	मरीज का नाम/ पता निबंधन संख्या	रोग	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मोहम्मद सिया पिता— मो० यासीन ग्राम— राहत रोड करीम चक वार्ड 30 पो०— छपरा थाना— नगर जिला— सारण	कैसर रोग	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत।
2	पिटू कुमार पिता— स्व० रामनारायण सिंह ग्राम— अजीमचक जनकपुर वार्ड 23 पो०— फतेहपुर थाना— गौरीचक जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	कलाधर मडल पिता— विलाश मडल ग्राम— रेवहरा वार्ड 14 पो०— रेवहरा थाना— जाले जिला— दरभंगा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
4	सबनम आरा पति— जियाउर्रहमान ग्राम— मुसलडेगा वार्ड 08 पो०— निशेंद्रा थाना— बहादुरगज जिला— किशनगज	कैसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	रामवीर दास पिता- राम सेवक दास ग्राम- नरकटिया पो0- दलकावा थाना- सोनबरसा जिला- सीतामढी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
6	रणधीर कुमार पिता- सर्वा सिंह ग्राम- रामनगर वार्ड 08 पो0- अकबरपुर थाना- करपी जिला- अरवल	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
7	नेहा कुमारी पति- अभिषेक कुमार यादव ग्राम- मठिला वार्ड 03 पो0- मठिला थाना- कोरस्रय जिला- बक्सर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
8	सिधेशवर यादव पिता- हिरा लाल यादव ग्राम- बछरदाह वार्ड 13 पो0- कल्हरिया थाना- बायसी जिला- पूर्णियाँ	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			5,75,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 5,75,000/- (पाँच लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं 36930644306 खाता धारक का नाम- "बुद्धा कैसर सेटर प्रा0 लि0" खाते का प्रकार-चालू बैंक का नाम- स्टेट बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम- RTGS/IFSC कोड सं SBIN0017469 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- चिकित्सा CGHS के दर पर की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय व्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा

- चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छ) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक

1761(14)

पटना, दिनांक

24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 1.9.6.9.28 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स० स०- 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
एस.एस. अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
मलाही पकड़ी, कंकड़बाग, पटना 20

पटना, दिनांक...

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि स्वीकृत की जाती है:-

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	प्रभा देवी पति- उपेद्र पासवान ग्राम- मगुराही पो०- इटाहट थाना- रिसियप जिला- औरंगाबाद	कैसर रोग	1,25,000	एक लाख पच्चीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	अनिल कुमार पाल पिता- बलराम चौधरी ग्राम- जगदीशपुर वार्ड 36 पो०+थाना- जमालपुर जिला- मुंगेर	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
3	सुधाकर शुक्ल पिता- पुनयदेव शुक्ल ग्राम+पो०- सलहा थाना- गोविन्दगज जिला- पूर्वी चम्पारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
4	सुबोध कुमार पिता- सजीव राउत ग्राम- केशोपुर वार्ड 11 पो०- केशोपुर थाना- हिलसा जिला- नालदा	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	अनीता कुमारी पति- पुरुषोत्तम कुमार ग्राम- खेसर वार्ड 12 पो०- खेसर थाना- बेलहर जिला- बाका	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

6	ब्रजेश कुमार सिंह पिता- यदुनंदन सिंह ग्राम- अलियासपुर पो0- साधपुर थाना- गरखा जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
7	राम नाथ सिंह पिता- श्याम बहादुर सिंह ग्राम- परसागढ दक्षिण टोला वार्ड 06 पो0- परसागढ थाना- एकमा जिला- सारण	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
8	फुलझाडो देवी पति- बाबूलाल चौधरी ग्राम+पो0- नया भोजपुर थाना- डुमराव जिला- बक्सर	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
9	हरदेव पासवान पिता- यदुनंदन पासवान ग्राम+पो0- खानपुर पकडी थाना- बिदुपुर जिला- वैशाली	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
10	सजीव कुमार राम पिता- विद्यानंद राम ग्राम- परबत्ता पो0- हलधारा हाट थाना- कुर्साकाटा जिला- अररिया	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
11	दीपचंद सिंह पिता- राधा नाथ सिंह ग्राम+पो0- भिरभीरी थाना- सिकटी जिला- अररिया	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
12	अमीरक सिंह पिता- सरयुग राय ग्राम- पूर्वी लक्ष्मी नगर खेमनीचक पो0- न्यू जगनपुरा थाना- रामकृष्ण नगर जिला- पटना	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
13	अमित मिश्रा पिता- जय किशोर मिश्रा ग्राम- बनियाडीह पो0- श्रीरामपुर थाना- शेरघाटी जिला- गया जी	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।

14	जुगेश्वर साहनी पिता— चदेश्वर साहनी ग्राम— आरएमएस कॉलोनी ककडबाग पो0— लोहिया नगर थाना— ककडबाग जिला— पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			10,25,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,25,000/— (दस लाख पच्चीस हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0 5020 418 8262 खाता धारक का नाम—एस0एस0 हौस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर" खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— इंडियन बैंक, शाखा का नाम— हनुमान नगर, कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड सं0 IDIB000H531 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1762(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं0 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/आई टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना, संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0सं0'14/एम-11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,
निदेशक

डा0 बीमल अस्पताल एंड रिसर्च सेंटर
(प्रा. लि0) सगुना मोड, बेली रोड
पटना -801503

पटना, दिनांक... ..

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक- 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राहुल कुमार पिता-अजय चौहान ग्राम-धर्मपुर पो0-कचहरिया थाना-चौदी जिला-नालदा	URSL DJ STENT	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
2	लक्ष्मी देवी पति-स्व0 राम विनोद सिंह ग्राम-चित्रकुट नगर रोड न0-9 ए0 वार्ड 35 पो0-दीघा थाना-दानापुर जिला-पटना	Abdomen Koch Acute Febrile	45,000	पैंतालीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
3	रेखा देवी पति-रूपेश कुमार ग्राम-नियर देवी सीन नया टोला सगुना दानापुर वार्ड 15 पो0 दानापुर कैट थाना-दानापुर जिला-पटना	Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
4	रविकांत कुमार पिता-अजय कुमार ग्राम-बलहमा पो0-अमौना थाना-दाउदनगर जिला-औरंगाबाद	Cholecystectomy	30,000	तीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।

5	गोलु कुमार पिता-श्याम नारायण सिंह ग्राम-हैबसपुर पो-0-धमनी थाना-हसपुरा जिला औरंगाबाद	Lap Appedicectomy	20,000	बीस हजार स्वीकृत। विशेष परिस्थिति में।
			₹ 1,45,000/-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,45,000/- (एक लाख पैतालीस हजार) रु० के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं०-442820110000158 खाता धारक का नाम-DR. BIMAL HOSPITAL AND RESEARCH CENTRE PVT.LTD खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया, शाखा का नाम-बोरिंग कनेल रोड, पटना, बिहार-800001 RTGS/IFSC कोड सं० BKID 0004428 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी को मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1763714)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बीग अपोलो स्पेट्रा अस्पताल
शीतला मंदिर रोड नीयर सप हाउस
अगमकुआ पटना 800007

पटना, दिनांक.....

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के सबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक— 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	कमलेश कुमार कोडा पिता— सीताराम कोडा ग्राम— जटातरी पो0+थाना— हवेली खडगपुर जिला— मुंगेर	ड्रामा	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	नथुनी महतो पिता— गर्भू महतो ग्राम+पो0— निसिहारा थाना— घनश्यामपुर जिला— दरभंगा	कैसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
3	विज्ञानी पाठक पति—चन्द्र शेखर पाठक ग्राम—सी0 141 पुलिस कोलनी वार्ड 10 पो0—अनिसाबाद थाना—गर्दनीबाग जिला—पटना	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			2,15,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,15,000/- (दो लाख पन्द्रह हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0 196928..... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रानिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-1714354694 खाता धारक का नाम—“BIG Apollo Spectra Hospital खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— कोटक महिन्द्रा बैंक, (गांधी मैदान पटना) शाखा का नाम RTGS/IFSC कोड सं0— KKBK0000351 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।

१

4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1764/14

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि संलग्न चेक सं० 196728 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0स0-14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार,पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
ऑक्सीजन ड्रामा एण्ड मल्टी स्पेशलीटी अस्पताल,
मौर्या कॉलोनी, बिस्कोमान गोलम्बर,
साउथ ऑफ कुम्हरार ब्रीज, पटना-800007

पटना, दिनांक

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजू देवी पति- राम प्रवेश सिंह ग्राम- नारायणी नगर पो०- सच्ची पट्टी थाना- हाजीपुर जिला- वैशाली	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
2	विनोद साव पिता- राम सागर साव ग्राम+पो०- देवदहा थाना- धनरुआ जिला- पटना	वन हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
3	रिचा प्रशांत पति- रवि शर्मा ग्राम- आनंद राय की धर्मशाला की गली नियर येस० बी० आई० बैंक पटना सिटी पो०- झाऊगज थाना- चौक जिला- पटना	हीप रिप्लेसमेंट	75,000	पचहत्तर हजार स्वीकृत।
4	चम्पा देवी पति- देवप्रसाद राय ग्राम- धरनीपट्टी पो०- बघरा रसलपुर थाना- मोहनपुर जिला- समस्तीपुर	टोटल हीप रिप्लेशमेंट	1,50,000	एक लाख पचास हजार स्वीकृत।
			3,75,000	

2 उक्त अनुदान की कुल राशि रू० 3,75,000/- (तीन लाख पचहत्तर हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424

एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 ~~176928~~ द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं0— **33569032861** खाता धारक का नाम—“ऑक्सीजन ट्रामा एंड मल्टीस्पेशलीटी अस्पताल ” खाते का प्रकार—चालू, बैंक का नाम— स्टेट बैंक आफ इण्डिया, शाखा का नाम —गुलजारबाग, अशोक राजपथ, पटना सिटी, पटना RTGS/IFSC कोड सं0 SBIN 0001496 मे अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— “मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष”, खाता सं0— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस0 बी0 आई0, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि एक सप्ताह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह0/—

(डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1765 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है लग्न चेक सं0 ~~176928~~ की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अधीक्षक,
होमी भाभा कैंसर अस्पताल,
एड रिसर्च सेटर एस०के०एम० सी० एच कैम्पस,
उमा नगर मुजफ्फरपुर-842004

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबध में।
महाशय,

मुख्यमन्त्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	राजेन्द्र महतो पिता- मोहन महतो ग्राम- बसवरिया पो०- पतौरा थाना- मुफससिल जिला- पूर्वी चम्पारण केस फाईल न०- 19 एफ 2023/002166	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
2	राजन डेनियल पिता- डेनियल रमिजो ग्राम- मझौलिया मझौली खेतल पो०- डुमरी थाना-सदर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न०- 19 एफ 2025/001995	कैंसर रोग	20,000	बीस हजार स्वीकृत।
3	सुधा रानी जायसवाल पति- निर्मल प्रसाद भगत ग्राम+पो०- धरहारा थाना- बनमनखी जिला- पूर्णियाँ केस फाईल न०- सीवी/13012	कैंसर रोग	60,000	साठ हजार स्वीकृत।

4	अरूण राय पिता- बालेश्वर राय ग्राम- बिसम्भरपट्टी पो- बेरई थाना- हथैडी जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2025/001160	कैसर रोग	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
5	सजीव कुमार पिता- उमेश चौधरी ग्राम- लतौना थाना- त्रिवेणीगज जिला- सुपौल केस फाईल न0- 11 एफ 2024/027515	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
6	प्रदीप राम पिता- सुरेश राम ग्राम- नियर मामा किराना अहियापुर वार्ड 09 पो- भीखनपुर थाना- अहियापुर जिला- मुजफ्फरपुर केस फाईल न0- 19 एफ 2025/000521	कैसर रोग	30,000	तीस हजार स्वीकृत।
7	दीपक राय पिता- रामाधार राय ग्राम- भगवानपुर पो- रूपसवाज थाना- बछवाडा जिला- बेगूसराय केस फाईल न0- 19 एफ 2025/002177	कैसर रोग	70,000	सत्तर हजार स्वीकृत।
			3,50,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 3,50,000/- (तीन लाख पचास हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक स0 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-TMC A/C HBCH and RC, Muzaffarpur A/c No- 59126012021000 खाता धारक का नाम-"होमी भाभा कैसर हॉस्पिटल, एड रिसर्च सेटर मुजफ्फरपुर", खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-एच0डी0एफ0सी0 बैंक लि0, शाखा का नाम-RTGS/IFSC कोड स0 HDFC 0000084 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/ उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृतादेश में किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है।

- प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

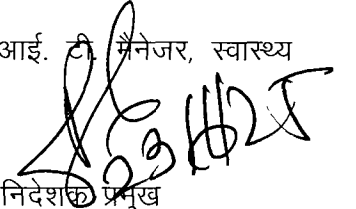
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1766 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में) / आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना / सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
Pancardia Heart & Multi Super Speciality Hospital
(P) Pvt. G-124, P.C. Colony, Main Road,
Near Domino's Pizza, Kankarbagh,
Patna - 800020

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	दिनेश महतो पिता— बिदेश्वरी महतो ग्राम— सोसरा वार्ड 09 पो0+थाना— रोसडा जिला— समस्तीपुर	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
2	श्यामल किशोर मंडल पिता— शालिग्राम मंडल ग्राम— भेलवा वार्ड 04 पो0— सिमराहा थाना— मधेपुरा जिला— मधेपुरा	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
3	जमील अहमद पिता— जाने आलम ग्राम— माडर वार्ड 11 पो0— माडर थाना— परसा जिला— सारण	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
4	सुजीत कुमार पिता— राम चन्दर साह ग्राम+पो0— जलालपुर थाना— लालगज जिला— वैशाली	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।

5	जलधर राय पिता- गजाधर राय ग्राम- साधनपुरा वार्ड 03 पो0- रामपुर भेरियाही थाना- कथैया जिला- मुजफ्फरपुर	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
6	रूपेश यादव पिता- ब्रह्मदेव यादव ग्राम- श्रीयावन पो0+थाना- मोहनपुर जिला- गया जी	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
7	फैज आलम पिता- मो0 शरीफ ग्राम- रतनमाला वार्ड 32 पो0+थाना- बगहा जिला- पश्चिम चम्पारण	कैंसर रोग	50,000	पचास हजार स्वीकृत।
8	सोनम कुमारी पिता- टुनटुन मिस्त्री ग्राम- इचहोस वार्ड 11 पो0- इचहोस थाना-इस्लामपुर जिला- नालदा	हृदय रोग एमवीआर	80,000	अस्सी हजार स्वीकृत।
			4,30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 4,30,000/- (चार लाख तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं0 176928... द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 50200060079860 खाता धारक का नाम- Pancardia Heart and Multi super Speciality Hospital Pvt. Ltd. खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- HDFC Bank Ltd., शाखा का नाम- , RTGS/IFSC कोड सं0 HDFC0000477 में अंतरित किया जाता है।
- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृतिदेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाये। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस करे। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।

6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1767 (14)

पटना, दिनांक

24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196728 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
हार्ट अस्पताल प्रा० लिमिटेड (चन्द्रालय)
बी/29 पत्रकार नगर
ककडबाग, पटना-20

पटना, दिनांक...

विषय- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है:-

क्र० सं०	मरीज का नाम, पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	शकर साह पिता- बाबूलाल साह ग्राम- खाजे चद छपरा वार्ड 02 पो०- खाजे चद छपरा थाना- कटहरा जिला- वैशाली	हृदय रोग सीएबीजी	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
2	आरती देवी पति- रजित साव ग्राम- सरमेरा वार्ड 10 पो०+थाना- सरमेरा जिला- नालंदा	हृदय रोग एमवीआर	1,35,000	एक लाख पैंतीस हजार स्वीकृत।
			2,70,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 2,70,000/-(दो लाख सत्तर हजार) रुपये मात्र के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष" खाता सं०-30121380424, एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता सं० 30002849889 खाता धारक का नाम-"HEART HOSPITAL LTD. कंकडबाग पटना 20" खाते का प्रकार- चालू बैंक का नाम-एस० बी० आई०, शाखा का नामRTGS/IFSC कोड सं० SBIN 0004445 में अंतरित किया जाता है।
- 3 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय ब्यौरा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तथा पूर्व की शेष/ अनुप्रयुक्त राशि विभाग को 10 दिनों के अंदर वापस किया जाय।

4. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायगा।
5. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारभ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नही हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
6. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
7. स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय ।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1768(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है किन चेक सं० 1768 की कुल राशि का अतरण उपरोक्त की कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कजाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/ आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना/ सबधित मरीजो को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
बी०एस०एल, आई केयर,
रवीन्द्र बालिका विद्यालय रोड न०-2
राजेन्द्र नगर पटना-800016

पटना, दिनांक

विषय:- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।
महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	रईस इमाम पिता- महबूब इमाम ग्राम-शाह की इमली पो०- झाउगज थाना- खाजेकला जिला- पटना	Cataract surgery	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			10,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 10,000/- (दस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 17.6 2.28 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं०-295711100000885 खाता धारक का नाम-B.S.L. EYE CARE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-युनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया, शाखा का नाम नाला रोड कदमकुआ RTGS/IFSC कोड सं० UBIN0829579 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

१

- 5 चिकित्सा CGHS के दर पर ही की जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त चिकित्सा प्रमाण पत्र, सम्पूर्ण व्यय बीमा के साथ उपयोगिता का प्रमाण पत्र स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को उपलब्ध कराया जाय। यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि भी विभाग को शीघ्र वापस किया जाय।
- 6 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 7 पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छ माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1770(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

सं० सं० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
शेखर आई केयर एंड लेजर सेंटर
राजीव नगर रोड नं०-0,
नाला पर आशियाना
पाटलीपुत्रा मार्ग कैसरी नगर
पटना-800024

पटना, दिनांक... ..

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के सबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक— 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	उषा देवी पति—कृष्णा सिंह ग्राम—पो०—पैनल थाना—बिहटा जिला— पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	इंदु देवी पति—अर्जुन साव ग्राम—पो०—आनन्दपुर थाना—बिहटा जिला— पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	हजकम पिता—अमजद साई ग्राम—महदीपुर पो०—डोरीगज थाना—डोरीगज जिला— सारण	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	शांति देवी पति—राम ईश्वर राय ग्राम—मुस्तफापुर पो०—कटेसर थाना—बिहटा जिला—पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	कौशल्या देवी पति—स्व० रामजी राय ग्राम—आनन्दपुर पो०—आनन्दपुर थाना—बिहटा जिला— पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

6	मालती देवी पति-मनोज कुमार ग्राम+पो0-अरप थाना-बिक्रम जिला- पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	महासुंदरी देवी पति-शिव बचन शर्मा ग्राम+पो0-अरप थाना-बिक्रम जिला- पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	सोना देवी पति-रविन्द्र साव ग्राम-आनन्दपुर पो0-आनन्दपुर थाना-बिहटा जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	बंगाली पासवान पिता-मन्नु पासवान ग्राम-दरियापुर पो0-नेउरा थाना-शाहपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	भीम राय पिता-देवनाथ राय ग्राम-राम नगर पो0-सोनागोपालपुर थाना-गौरीचक जिला- पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
11	ललचानी राय पिता-स्व0 लालजी राय ग्राम-माधोपुर जमुनिया टोला पो0+थान-मनेर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
12	राम एकबाल सिंह पिता-स्व0 श्यामदेव सिंह ग्राम-खरगपुरा पो0-बेनी बीघा थाना-रानी तालाब जिला- पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,20,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,20,000/- (एक लाख बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं 196728 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं- 291311100000760 खाता धारक का नाम- SHEKHAR EYE CARE AND LASER CENTRE खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम- UNION BANK OF INDIA, शाखा का नाम- BAILEY ROAD, RTGS/IFSC कोड सं- UBIN0829137 में अंतरित किया जाता है।

- 3 गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- 4 यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
- 5 यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम- "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०- 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा- एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
- 6 स्वीकृत राशि की वैधता अधिकतम 6 (छः) माह होगी।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1771 (14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि- शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि- लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
दृष्टि कुज नेत्रालय, प्रा०लि०,
सगुना मोड, बेली रोड, पटना 801503

पटना, दिनांक

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृति समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	
1	सनफुलवा देवी पति-राम प्रसाद पासवान ग्राम-नरही पो०-एम दिहुली थाना-दुल्हिन बाजार जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	पुष्पा देवी पति-कमलेश राय ग्राम-कौडिया पो०-कुजवा थाना-बिहटा जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	लल्लु चौधरी पिता-रामनदन चौधरी ग्राम-शिवगढ पोस्ट-दतियाना थाना-बिक्रम जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
4	बिना देवी पति-रमेश प्रसाद ग्राम-छोटी बदलपुरा पो०+थाना-खगौल जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
5	रेखा देवी पति-सुखदेव प्रसाद केसरी ग्राम-बीबीगज मैदाटोली पोस्ट+थाना-दानापुर जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।

९

6	रमती देवी पति-जितेन्द्र वर्मा ग्राम-मनखुदा पो0-खानपुर थाना-खानपुर जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
7	सुरेन्द्र राम पिता-विश्वनाथ राम ग्राम-रामतरी पो0 लई थाना-आई0 आई0 टी0 बिहटा जिला-पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
8	बिजेन्द्र ठाकुर पिता-बिंदा ठाकुर ग्राम-खरकचक पो0-नेउरा थाना-फुलवारीशरीफ जिला- पटना	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
9	सिया राम शर्मा पिता-राजदेव सिंह ग्राम-अख्तियारपुर पो0-लई थाना-आई0 आई0 टी0 बिहटा जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
10	विश्वनाथ राम पिता-वृक्ष राम ग्राम-अख्तियारपुर पो0-लई थाना-आई0 आई0 टी0 बिहटा जिला-पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			1,00,000	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 1,00,000/- (एक लाख) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रॉस चेक सं0 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं0- 333905000940 खाता धारक का नाम-Drishtikunj Netralaya Pvt. Ltd खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम ICICI बैंक, शाखा का नाम Saguna More, Patna. RTGS/IFSC कोड सं0 ICIC0003339 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को सबधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक माग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारी का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से

वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक

1772(14)

पटना, दिनांक

24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियों में)/आई. टी. मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजों के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएं
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ0 प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में ,

निदेशक,
श्री साई लायन्स नेत्रालय
बी0/144, पी0सी0 कालोनी
कंकड़बाग पटना 20

पटना, दिनांक.....

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के लिए गठित अधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके सस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीजों को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	रिभा देवी पति-अमरेन्द्र कुमार ग्राम+पो0+थाना-मेन जिला-गया जी	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	रेशमी देवी पति-योगेन्द्र मिस्त्री ग्राम-ईदगाह रोड माखनपुर पटनदेवी पो0-गुलजारबाग थाना-आलमगज जिला- पटना	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			₹ 20,000 /-	

- उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 20,000 /- (बीस हजार) के भुगतान के लिए आपके सस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता स0- 30121380424 एस0 बी0 आई0, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक स0-196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके सस्थान/अस्पताल के खाता स0-442320110000316 खाता धारक का नाम SRI SAI LIONS NETRALAYA खाते का प्रकार-चालु, बैंक का नाम-बैंक आफ इंडिया शाखा का नाम- कंकड़बाग, पटना, RTGS/IFSC कोड स0 BKID0004423 में अंतरित किया जाता है।
- गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मांग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
- यदि स्वीकृत्यादेश में किसी तरह की त्रुटि या आंशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारियों का मिलान कर चिकित्सा प्रारंभ किया जाय। अनावश्यक रोगियों को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना

४-

आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।

5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1774(14)

पटना, दिनांक

24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलक सं०...196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/सभी संबंधित मरीजों को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



स० स० 14/एम 11-1/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
निदेशक,
बांका आई अस्पताल एंड डेंटल केयर सेंटर
अपोजिट लोयला स्कूल कुर्जी
पटना 801105

पटना, दिनांक ...

विषय – मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष के प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपके संस्थान में चिकित्सारत निम्नलिखित मरीज को उनके नाम के समक्ष अंकित बीमारियों के चिकित्सा व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	मीना देवी पिता-रामानंद चौधरी ग्राम-पेउर पो०+थाना-सहार जिला- भोजपुर	RE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
2	अनिल प्रसाद पिता-रामेश्वर साह ग्राम+पो०-सहार थाना-सहार जिला-भोजपुर	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
3	खैरुन निशा पति-अब्दुल हकीम ग्राम+पो०-पेउर थाना-पेउर जिला-भोजपुर	LE CATARACT	10,000	दस हजार स्वीकृत।
			30,000	

- 2 उक्त अनुदान की कुल राशि ₹ 30,000/- (तीस हजार) के भुगतान के लिए आपके संस्थान/अस्पताल के खाते में उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं० 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196918 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके संस्थान/अस्पताल के खाता सं० 50200021671321 खाता धारक का नाम- BANKA EYE HOSPITAL AND DENTAL CARE CENTRE, खाते का प्रकार-चालू, बैंक का नाम- HDFC BANK, शाखा का नाम- Patliputra Branch, Kurji (Patna), RTGS/IFSC कोड सं० HDFC0002643 में अंतरित किया जाता है।

८

3. गलत प्रमाण पत्र/छद्म नाम /अथवा गलत तरीके से उक्त कोष से प्राप्त की गयी राशि को संबंधित मरीज/उनके अभिभावक/उत्तराधिकारी से एक मुश्त बिहार लोक मॉग वसुली अधिनियम के तहत वसूल कर लिया जायेगा।
4. यदि स्वीकृत्यादेश मे किसी तरह की त्रुटि या आशिक भिन्नता हो तो अन्य जानकारीयो का मिलान कर चिकित्सा प्रारम्भ किया जाय। अनावश्यक रोगियो को परेशानी नहीं हो सुनिश्चित किया जाय। मरीजों को कितनी बार अनुदान की राशि दी गयी है, इसका उल्लेख उपयोगिता प्रमाण पत्र में किया जाना आवश्यक है। प्राक्कलन एक ही बार निर्गत किया जाय। बार-बार प्राक्कलन निर्गत करने से वित्तीय अनियमितता की संभावना रहती है। उक्त मामले में वित्तीय अनियमितता नहीं हो सुनिश्चित किया जाय।
5. यदि मरीज द्वारा चिकित्सा/शल्य चिकित्सा करा ली गयी हो तो इस राशि को शीघ्र विभाग को वापस किया जाय। मरीज के चिकित्सोपरान्त शेष/अनुप्रयुक्त राशि को खाता धारक का नाम— "मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष", खाता सं०— 30121380424, IFSC Code- SBIN0006379, शाखा— एस० बी० आई०, बेली रोड, पटना में इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर (RTGS/NEFT) के माध्यम से विभाग को छः माह के अंदर वापस करना सुनिश्चित किया जाय।
6. पूर्व की शेष/अनुप्रयुक्त राशि छः माह के अन्दर विभाग को वापस किया जाय।
इसे अत्यावश्यक समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/—

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापांक 1775(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 176928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 मे वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई की मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सभी संबंधित मरीजो के सूचनार्थ हेतु आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख

स0 स0 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अशोक कुमार श्रीवास्तव
पिता- सचिदानंद प्रसाद श्रीवास्तव
ग्राम- रामपुर कोरर
पो०+थाना- केसरिया
जिला- पूर्वी चम्पारण
पिनकोड- 845424

पटना, दिनांक.. . . .

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अशोक कुमार श्रीवास्तव पिता- सचिदानंद प्रसाद श्रीवास्तव ग्राम- रामपुर कोरर पो०+थाना- केसरिया जिला- पूर्वी चम्पारण पिनकोड- 845424	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 30854468167, खाता धारक का नाम- ASHOK KUMAR SHRIVASTVA, खाते का प्रकार-, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- KESARIA, कोड सं०- SBIN0002963 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1787(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई. टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



Generally used abbreviations

dep = Deposit	Pr = Principal
Dft = Draft	proc = Processing Charge
dish/dsh = Dishonour	rd = Recurring Deposit
DR = Debit	ret/rtn = Return
DoB = Date of Birth	Rnd = Round of
eft = Electronic Fund Transfer	sb = Savings Bank
h op = Inoperative	SC = Short Credit
ins = Insurance	SI/SO/SORD = Standing Instruction
int/in = Interest	S/D/W/H/o = Son/Daughter/Wife/Husband of
tr/trf = Transfer	tr/trf/der = Transfer
tele = Telegraphic	T = Telegraphic Transfer
txn = Transaction	tx = Transaction
Wd = Withdrawal	Wd = Withdrawal
MOD bal = total balance (SB+link MOD a/c)	MOD bal = total balance (SB+link MOD a/c)

State Bank of India

STATE BANK OF INDIA
KFSAP1A

Phone: 269325
Email: sbi.02963@sbi.co.in
Branch Code: 2963
Date of Issue: 07/09/2016
07/09/2016 7577605
IFSC: SBIN0002963

HELPLINE : 1800-11-22-11 / 1800-425-3800

स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख
सेवा में,
अजमेरी खातून
पति— मो० नसीम
ग्राम— परसौनी मैलवार
पो०+थाना— परसौनी
जिला— सीतामढ़ी
पिनकोड— 843325

पटना, दिनांक.. . . .

विषय— मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए प्रथम किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजमेरी खातून पति— मो० नसीम ग्राम— परसौनी मैलवार पो०+थाना— परसौनी जिला— सीतामढ़ी पिनकोड— 843325	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय संकल्प संख्या— 213(14), दिनांक— 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 /—	

- 2 उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 /— (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०— 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196928.. द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०— 467610110015451, खाता धारक का नाम— AJMERI BEGAM W/O MD NASIM, खाते का प्रकार— SAVINGS BANK GENERAL, बैंक का नाम— BANK OF INDIA, शाखा का नाम— PARSAUNI, कोड सं०— BKID0004676 में अंतरित किया जाता है।
- 3 निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन
ह० /—
(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1788(14)

पटना, दिनांक 24/6/2023

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स0 1969228...की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो मे)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक (प्रशासन)



चेतावनी

धोखेबाजों से देश में ही नहीं अथवा विदेश से मिलने वाले फर्जी प्रस्ताव/संदेश/एसएमएस जैसे लॉटरी विजेता, सस्ती फंड प्रस्ताव, नौकरी के प्रस्ताव, छात्रवृत्ति के प्रस्ताव, उद्योग वास बीसा के प्रस्ताव, विदेशी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में प्रवेश के प्रस्ताव और ऐसे ही अन्य प्रकार के फर्जी प्रस्तावों में सावधान रहें।

WARNING

Beware of fictitious offers, messages/ SMS about lottery winning, cheap, Fund Offer, employment offers, scholarship offers, offer of emigration visas, offer of admission to reputed universities abroad and similar such offers from fraudsters within the country or from abroad,

Pr. Name	PARSAUNI	Occupation :	AGRICULTURE AND ALLIED AC	Bank of India
Pr. Address	SHARMA MARKET ATPO.P. PARSAUNI DIST-SITAMARHI	W/O MD NASIM		
Pr. Tel	7488272452	VILL PO PARSAUNI MATIWAR DIST SITA		
Pr. Email	parsauni.muzaftarpur@bankofindia.co.in	SITAMARHI (BIHAR) 843325		
IFSC Code :	BKID0004676	BIHAR INDIA		
MICR Code :	843013508	Operational Inst: SELF		
Customer Id :	177506792	Nomination : Not Regd.		
Account No	467610110015451	A/C Open Dt.: 25-01-2017		
Name :	1. AJMERI BFGAM W/O MD NASIM	Scheme Desc: SAVINGS BANK GENERAL		
		Scheme Code: SB101		
		Spl Charge Code: NO CONCESSIONS IN CHARGES		

For your queries / enquiry

Toll free no. of our call center: 1800220229 18001031906

Grievance Redress Officer, 70: _____

Grievance Redress Officer, Branch: 7488272452

This pass book is system generated and does not require any initials

1789(14)

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

अजली कुमारी
पति- गणेश कुमार आर्य
ग्राम- नई यारपुर कहारटोली
पो०- पटना जी पी ओ
थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना
पिनकोड- 800001

पटना, दिनांक 24/6/2025

विषय- मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	अजली कुमारी पति- गणेश कुमार आर्य ग्राम- नई यारपुर कहारटोली पो०- पटना जी पी ओ थाना- गर्दनीबाग जिला- पटना पिनकोड- 800001	Post Kidney Transplant Medicine	60,000	साठ हजार स्वीकृत।
			रु० 60,000/-	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 60,000/- (साठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 196928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 579210510000079, खाता धारक का नाम- ANJALI KUMARI, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK GENERAL, बैंक का नाम- BANK OF INDIA, शाखा का नाम- KALIBARI ROAD, कोड सं०- BKID0005792 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह०/-

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)

निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1789(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबंधक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक सं० 196828 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

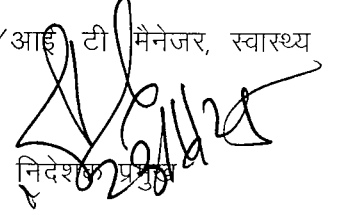

निदेशक प्रमुख

Photo
(Optional)

नामिति के बारे में
Details of Nominee
पंजीकृत (हाँ/नहीं)
Registered (Yes/No)
(यदि, हाँ)
If Yes, Reg No
(अवशिष्ट)
(Optional)

नाम
Name

पैसेबुक
Pass Book
पैसेबुक इंडिया
Pass Book India

पैसेबुक का उपयोग

1. पैसेबुक का उपयोग करने के लिए आपको अपने बैंक खाते के विवरणों को पैसेबुक में दर्ज करना होगा।
2. पैसेबुक में दर्ज किए गए विवरणों का उपयोग बैंक द्वारा आपके खाते में धन प्रवेश और निकास के लिए किया जाएगा।
3. पैसेबुक का उपयोग करने के लिए आपको अपने बैंक खाते के विवरणों को पैसेबुक में दर्ज करना होगा।
4. पैसेबुक में दर्ज किए गए विवरणों का उपयोग बैंक द्वारा आपके खाते में धन प्रवेश और निकास के लिए किया जाएगा।
5. पैसेबुक का उपयोग करने के लिए आपको अपने बैंक खाते के विवरणों को पैसेबुक में दर्ज करना होगा।
6. पैसेबुक में दर्ज किए गए विवरणों का उपयोग बैंक द्वारा आपके खाते में धन प्रवेश और निकास के लिए किया जाएगा।
7. पैसेबुक का उपयोग करने के लिए आपको अपने बैंक खाते के विवरणों को पैसेबुक में दर्ज करना होगा।
8. पैसेबुक में दर्ज किए गए विवरणों का उपयोग बैंक द्वारा आपके खाते में धन प्रवेश और निकास के लिए किया जाएगा।
9. पैसेबुक का उपयोग करने के लिए आपको अपने बैंक खाते के विवरणों को पैसेबुक में दर्ज करना होगा।
10. पैसेबुक में दर्ज किए गए विवरणों का उपयोग बैंक द्वारा आपके खाते में धन प्रवेश और निकास के लिए किया जाएगा।

पैसेबुक का उपयोग

1. Register your Mobile and email-Id for getting information about your account
2. You may call toll free number for inquiry etc
3. Get pass-book updated regularly
4. Issue standing instructions, if ever possible
5. Do not put signature anywhere in pass-book
6. Write down your suggestions
7. Contact branch manager in case of difficulties/Value added services
8. Toll Free Helpline No
9. Do not fall prey to false promises, beware of dubious schemes
10. Please do not disclose your Account details/Internet Banking, User ID and Password/ATM Debit Card/Credit Card/ Mobile Banking Personal information to any Person



स० स० 14/एम 11- 01/2025
निदेशालय स्वास्थ्य सेवाएँ
बिहार, पटना

प्रेषक

डॉ० प्रमोद कुमार सिंह,
निदेशक प्रमुख

सेवा में,

नीरज कुमार पांडेय
पिता- बिन्ध्याचल पांडेय
ग्राम- गुदनडीह
पो०- शिवपुर थाना- तरारी
जिला- भोजपुर
पिनकोड- 802204

पटना, दिनांक

विषय - मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष से अनुदान की विमुक्ति के संबंध में।

महाशय,

मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष की प्राधिकृत समिति की दिनांक 18.06.2025 की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुरूप आपका गुर्दा प्रत्यारोपण के पश्चात दवा पर हुए व्यय वहन के लिए द्वितीय किस्त के रूप में कॉलम-4 में अंकित अनुदान राशि विमुक्त की जाती है।

क्रमांक	मरीज का नाम एवं पता तथा अस्पताल की निबंधन संख्या	बीमारी का नाम	अनुदान की राशि	राशि शब्दों में
1	2	3	4	5
1	नीरज कुमार पांडेय पिता- बिन्ध्याचल पांडेय ग्राम- गुदनडीह पो०- शिवपुर थाना- तरारी जिला- भोजपुर पिनकोड- 802204	Post Kidney Transplant Medicine	1,08,000	एक लाख आठ हजार स्वीकृत। (विभागीय सकल्प संख्या- 213(14), दिनांक- 30.01.2024 के आलोक में)
			रु० 1,08,000 / -	

- उक्त अनुदान की राशि ₹ 1,08,000 / - (एक लाख आठ हजार) के भुगतान के लिए उक्त राशि को मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता कोष, खाता सं०- 30121380424 एस० बी० आई०, बेली रोड, शाखा पटना के क्रास चेक सं० 176928 द्वारा आहरित कर इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर के माध्यम से आपके खाता सं०- 32511435399, खाता धारक का नाम- NIRAJ KUMAR PANDEY, खाते का प्रकार- SAVINGS BANK ACCOUNT, बैंक का नाम- STATE BANK OF INDIA, शाखा का नाम- HASAN BAZAR, कोड सं०- SBIN0006019 में अंतरित किया जाता है।
- निदेश दिया जाता है कि उक्त राशि का उपयोग केवल दवा क्रय/सेवन हेतु ही किया जाए तथा अन्य किसी मद में राशि का उपयोग कदापि न किया जाए।

विश्वासभाजन

ह० / -

(डॉ० प्रमोद कुमार सिंह)
निदेशक प्रमुख

ज्ञापाक 1790(14)

पटना, दिनांक 24/6/2025

प्रतिलिपि— शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, बेली रोड, पटना को प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि सलग्न चेक स० 196928 की कुल राशि का अंतरण उपरोक्त कंडिका-2 में वर्णित खाताधारक को कर दिया जाय।

प्रतिलिपि— लेखापाल, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना (तीन प्रतियो में)/आई टी मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना को सूचनार्थ एव आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

निदेशक प्रमुख



11-11-2023
DATE OF ISSUE

Branch: HASAN BAZAR
AT + PO-HASAN BAZAR

Code: 6019

Email: sbi.06019@sbi.co.in

Phone No.: 283641

IFSC: SBIN0006019

Buss. Hrs: 10:00:00-16:00:00

MICR: 802002603

Name: NIRAJ KUMAR PANDEY

S/D/H/o : VINDHYACHAL PANDEY

CIF Number : 86428881585

Account No.: 32511435399

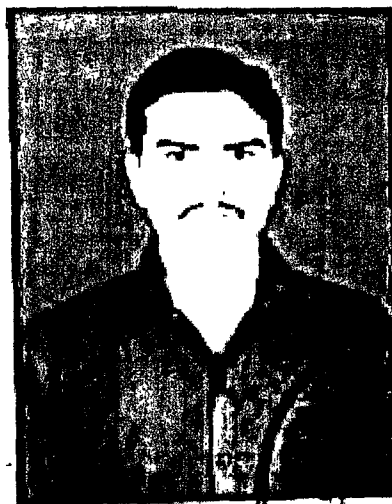
A/c Type : SAVINGS BANK ACCOUNT

Address : C/O-VINDHYACHAL PANDEY, AT-GI
POST-SHEOPUR, PS-TARARI
BHOPUR

Phone No. :

Email :

D.O.B. (If Minor):



MOP: SINGLE

A/c Opening Dt: 31/08/2012

Nom Reg No: 0000000044914570

Customer's PAN: CLFPP7348E

Date of Issue: 21/08/2023

CONTINUATION



MANAGER